

ER-104/04 against Shri Om Prakash Dhurve, Minister Food & Civil Supplies and Chairman, M.P. State Civil Supplies Corporation Limited.

ORDER

Question for consideration is whether Shri O.P. Dhurve, who was Minister of Food and Civil Supplies in the State of Madhya Pradesh at the relevant time abused his position as a public servant, while acting as Chairman of the M.P. State Civil Supplies Corporation Limited, by deliberately delaying the award of contract for transportation of food articles for the year 2004-05, in order to give undue pecuniary advantage to Shri Mukesh Goyal, who had been awarded such contract for the previous year i.e., 2003-04 at higher rates than the rates quoted by the lowest tenderer for the year 2004-05.

2. The M.P. State Civil Supplies Corporation Limited, invited tenders for the transport of food articles for the year 2004-05 for several districts of Madhya Pradesh. The articles were to be transported from rack-points to distribution centers, or vice versa. The tenders were to be opened on 10.11.2003 at 3.30 p.m. and were accordingly opened. Mohd. Shafiq, the proprietor of Mohd. Shafiq and Company was one of the tenderers for three rack points, namely, Pipariya, Itarsi and Banapura of district Hoshangabad and the rates quoted by him were the lowest. The District Level Committee approved the rates quoted by him and authorized the District Manager to get

the work done at those rates and forwarded the papers for formal approval to the Headquarters through the Regional Manager. The Regional Manager accorded his approval and sent the papers to the Headquarters on 24.11.2003. The Headquarter Level Committee approved the proposals on 11.12.2003. Then, the General Manager (Transport) sent the proposals for approval to the Managing Director on 18.12.2003. After approval, on 20.12.2003, the Managing Director sent the proposals for approval to Shri O.P. Dhurve, the Chairman, who was the competent authority to approve the rates. Shri Dhurve signed the files relating to Banapura and Itarsi points as token of approval, but without noting the date of approval. He did not put even his signature on the file relating to Pipariya point. All the three files were received back by the Head Quarter on 5.3.2004.

3. On 9.3.2004, Manager (Transport) Headquarter sent a letter to the Regional Manager of the Corporation that the files mentioned in that letter were being sent after getting approval of the Chairman for completing all the necessary formalities for execution of contract. Two of the files related to Itarsi and Banapura. But before any progress could be made in the matter, the files relating to Itarsi and Banapura were called back from the Headquarter at the instance of the Chairman, Shri Dhurve. On 12.3.2004, Manager (Transport) put a note, inter alia, stating that the Chairman had directed on that very date for putting the files relating to Hoshangabad district before him for perusal of the performance report of the transporters. The report was put up before the Chairman on that very day. There was nothing against the

transporter M. Shafiq & Co. in that report. The report also referred to one other report, which had been received from Raisen district, inter alia, stating that in the year 2003-04 Mohd. Shafiq and Company had done HLRT transport work satisfactorily and that his work and conduct was good and that his financial condition was satisfactory. The Chairman sent back the files by making a note "चर्चा करें" (Be discussed). On 23.3.04 the Managing Director discussed the matter with the Chairman. In the discussion, decision was taken that report be called for from the Collector Hoshangabad. After receiving the report, Assistant Manager (Transport) made a note on 12.4.04 to the effect the Collector Hoshangabad had reported that the lowest tenderer M/s Mohd. Shafiq and Company had not done any work previously in the district and that the lowest rates tendered by that company had already been approved, but the case could not be sent to the district because it was pending discussion and that the approved rates were lower than those of the previous year. He also made it clear that the work of procurement of wheat was in full swing and if the approved rates for 2004-05 were not implemented, work would have to be done at the rates of the previous year and in that situation there was likelihood of the Corporation incurring loss. The note of Assistant Manager (Transport) reads as under:-

"आदेशानुसार कलेक्टर, होशंगाबाद से संबंधित परिवहनकर्ताओं के बारे में गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त की गई।

कृपया कलेक्टर, होशंगाबाद के द्वारा एच0एल0आर0टी0 गेहूँ/नमक बानापुरा के परिवहन निविदा में भाग लेने वाले न्यूनतम दरदाता के बारे में प्रस्तुत कार्य व्यवहार रिपोर्ट का अवलोकन करने का कष्ट करें। कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा संबंधित न्यूनतम दरदाता मेसर्स मोहम्मद शफीक एण्ड कंपनी के कार्य व्यवहार में यह अभिमत दिया है कि परिवहनकर्ता द्वारा इस वर्ष के पूर्व इस जिले में कार्य नहीं किया गया। (पत्र व्यवहार पृष्ठ 08)

अतः उपरोक्त अभिमत के प्रकाश में निम्न तथ्य विचारणीय है:-

01. एच.एल.आर.टी. गेहूँ/नमक बनापुरा में प्राप्त न्यूनतम दरें नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 10-11 पर अनुमोदित की जा चुकी है, किन्तु प्रकरण में चर्चा होने के कारण जिले को नहीं भेजा गया।
02. स्वीकृत दरें गत वर्ष की स्वीकृति दरों की तुलना में कम प्राप्त हुई हैं।
चूंकि इस समय उपार्जन चरम सीमा पर हैं एवं यदि वर्ष 2004-05 के लिये स्वीकृत दरें लागू नहीं की जाती है तो गत वर्ष की स्वीकृत दरों पर कार्य करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कारपोरेशन को हानि की संभावना है।

अतः उक्त तथ्यों को देखते हुये प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत है।”

4. In the file relating to **Piparia** rack point, note was put up by the Assistant Manager on 8.3.2004 to the effect that in compliance with the oral directions of the Chairman, performance report and the rates for the previous three years were being put up. The note reads as under:

“माननीय अध्यक्ष महोदय ने समक्ष में दिये निर्देश एवं नोटशीट व्यवहार पृष्ठ 06 के पालन में परिवहन नस्ती में परफारमेन्स रिपोर्ट एवं गत तीन वर्ष की दरें संलग्न की गई है जो नस्ती व्यवहार पृष्ठ क्रमांक 04 से 05 पर संलग्न है। जिला प्रबंधक होशंगाबाद ने मेसर्स मोहम्मद शफीक एण्ड कम्पनी, भोपाल की परफारमेन्स रिपोर्ट में निम्नानुसार टीका की है।

उपार्जन कार्य वर्ष 2002-03 में केन्द्र बानापुरा एवं पिपरिया में एच0एण्ड0टी0 परिवहन कार्य किया गया है। इनके द्वारा इस जिले में प्रथमवार कार्य किया गया है। इनकी वित्तीय स्थिति सामान्य है। इनका स्थायी निवास भोपाल है।

जिला प्रबंधक द्वारा इसके संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/प्रमाण संलग्न नहीं किये हैं। अतः इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। मुख्यालय में भी यह परिवहनकर्ता काली सूची में/प्रतिबंधित नहीं है। अतः उपरोक्त स्थिति विचार में लेते हुये नस्ती पुनः सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाना योग्य होगा।”

5. On 10.3.2004, the General Manager (Transport) asked the Manager (Transport) for his clear opinion. On 18.3.2004 Manager (Transport) in his note stated that as the transporter had not been blacklisted, he could not be ousted from participation in the tender process. On the same day, General

Manager (Transport) sent the file to the Managing Director with his note which reads as under:

01. नस्ती नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 10 पर निगम मुख्यालय की परिवहन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का अवलोकन करना चाहेंगे।
02. विगत तीन वर्ष की दरें नस्ती पृष्ठ क्रमांक 05 परिवहनकर्ताओं की कार्य व्यवहार रिपोर्ट नस्ती पृष्ठ क्रमांक 04 पर संलग्न है जिसमें इनके द्वारा जिले में प्रथमवार निविदा भरना बताया है।
03. निगम मुख्यालय परिवहन समिति की बैठक दिनांक 17.03.2004 में न्यूनतम निविदाकारों का कार्य व्यवहार अच्छा नहीं होने वाले जबलपुर के प्रकरणों निम्न राय व्यक्त की है—
 - अ) पुनः निविदा में इससे कम दर आयेगी इसकी कोई गारंटी नहीं।
 - ब) यदि परिवहनकर्ता का कार्य अच्छा नहीं है तो इन्हें काली सूची में क्यों नहीं डाला गया।
 - स) जब तक वर्तमान दरदाताओं को काली सूची में नहीं डाला जायेगा तब तक पुनः निविदा में भाग लेने से इनको रोका भी नहीं जा सकेगा।
 - द) अतः समिति न्यूनतम दरें स्वीकृति की अनुशंसा करती है।
04. निगम मुख्यालय की परिवहन समिति द्वारा नोटशीट पृष्ठ क्रमांक 10 पर की गई अनुशंसायें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

अनुमोदनार्थ।”

6. Clearly, the note suggests that a tenderer cannot be excluded from participating in the tender process unless he has been blacklisted. This suggests that an attempt was being made by Shri Dhurve to exclude the lowest tenderer from the tender process on one pretext or the other but the officers were not agreeing to do so on the ground that this was not possible since the lowest tenderer had not been blacklisted. The Chairman, Shri Dhurve, without taking any decision made a note "चर्चा करे" without putting the date below his signature. The file was received in the office of the Chairman on 20.3.2004. On 13.4.2004, the General Manager (Transport) put a note to the effect that the matter was discussed and since the rates quoted by the lowest tenderer were lower than the rates of the previous year and also because the procurement work had already started, early decision was

necessary and marked the file to the Chairman again. Again, there is a note dated 15.4.2004, perhaps from the Assistant Manager, which reads as under:

“प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय से बिना अनुमोदन वापस प्राप्त। इस प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है:—

01. 2004-05 के लिये प्रस्तुत की गई दरें गतवर्ष की तुलना में कम हैं। जब तक यह दरें स्वीकृत होकर लागू नहीं की जायेगी तब तक गतवर्ष की दरों पर कार्य करना होगा। गतवर्ष की दरें इस वर्ष से अधिक होने के कारण निगम को आर्थिक हानि संभावित है।
02. इस वर्ष होशंगाबाद जिले में गेहूँ उपार्जन का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है। अतः संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।”
03. प्रकरण अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ।”

7. This note also shows that the Chairman again persisted in not taking a decision and sent back the file without putting even his signature thereon and the officers concerned were persistently bringing to the notice of the Chairman that early decision was essential. On 17.4.2004, the Managing Director made his note as under:

“कृपया कार्यालयीन टीप का अवलोकन करने का कष्ट करें। चूंकि वर्ष 2004-05 की परिवहन दरें वर्ष 2003-04 की तुलना में कम हैं उन्हें तुरन्त स्वीकृत किया जाना निगम के हित में होगा। ये दरें स्वीकृत न होने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार वर्ष 2003-2004 के परिवहनकर्ता से तीन माह के लिये कार्य कराया जा रहा है, इससे निगम को आर्थिक हानि हो रही है।

2. वर्तमान में गेहूँ उपार्जन का कार्य तेजी पर है और इन क्षेत्रों में उपार्जन अधिक होने के कारण परिवहन का कार्य भी अधिक है। निगम हित में यह आवश्यक है कि नई दरें जो, समिति द्वारा अनुशंसित की गई हैं, जो कि वर्ष 2003-04 की दरों की तुलना में कम हैं उन्हें स्वीकृत किया जाये, अन्यथा विलंब के लिये अंकेक्षण आपत्ति होगी।

प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।”

8. This note clearly states that since the rates for 2004-05 were lower than those of the year 2003-04 and since the rates for the year 2004-05 had not been approved, work was being got done for the three months as per the terms and conditions of the agreement of the year 2003-04 and as such the

Corporation was incurring loss. It was made clear that it was essential to approve the rates of 2004-05; otherwise, there would be audit objection. Similar note was put up on the files relating to the other two cases and all the three files were marked to the Chairman Shri Dhurve. It appears that the files were received by Shri Dhurve on 20.4.2004. Shri Dhurve made his note as under:

"इनके सम्बंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कर, प्रस्तुत करें।"

9. Though, the Chairman Shri Dhurve made a note to the effect that the enquiry should be made into the complaints received relating to the lowest tenderer but the files were not sent back to the department.

The files were not received in the office before 1.6.2004. There is a note on the file which reads as under:

"नस्ती मान. अध्यक्ष महोदय के पास से आज दिनांक 1/6/2004 को प्राप्त "

10. Since Shri Dhurve did not put any date below his signatures and the files were not received before 1.6.2004 it cannot be said on which date Shri Dhurve made his note. It is significant to note that Shri Dhurve had ceased to be Chairman of the Corporation on 24.5.2004. The fact that neither any mention was made of any specific complaints against the lowest tenderer nor were the files received by his office before he ceased to be the Chairman shows that Shri Dhurve did not feel any genuine need of any inquiry and that an excuse was being concocted for not approving the rates of the lowest tenderer, even when the officers concerned were pointing out repeatedly that it was not possible to exclude the lowest tenderer from the tender process and

that the non-acceptance of the rates for the year 2004-05 was resulting in pecuniary loss to the Corporation.

11. After the files were received in the office, enquiry was made into the complaints. The note of Shri B.P. Verma, Dy. Manager (Transport) dated 4.6.2004 reads as under:

"कृपया उपरोक्तानुसार प्रबंध संचालक महोदय द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक भोपाल/जिला प्रबंधक होशंगाबाद से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दिनांक 03.06.2004 को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

क्षेत्रीय प्रबंधक, भोपाल द्वारा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यालय को आनंद ट्रांसपोर्ट एवं शफीक एण्ड कम्पनी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यालय से प्राप्त दो शिकायतों में जांच कर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की गई है—

(अ) प्रथम शिकायत का संबंध एल0आर0टी0 प्रकरणों से हैं। एच0एल0आर0टी0 प्रकरणों से नहीं है। इस प्रकार इस नस्ती का इससे कोई संबंध नहीं है।

(ब) दूसरी शिकायत स्वयं श्री मुकेश गोयल, परिवहनकर्ता द्वारा की गई थी कि शफीक एण्ड कम्पनी एवं आनंद ट्रांसपोर्ट का आचरण, व्यवहार, कार्यक्षमता ठीक नहीं है। इन दोनों परिवहनकर्ताओं द्वारा सीहोर, भोपाल, रायसेन एवं होशंगाबाद जिलों में गत वर्षों में किये गये कार्यों की रिपोर्ट निगम मंगाकर स्वयं समीक्षा कर सकता है।

इस शिकायत पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने चारों जिलों की रिपोर्ट लेकर प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसका सार यह है कि शफीक एण्ड कम्पनी एवं आनंद ट्रांसपोर्ट का कार्य व्यवहार संतोषप्रद बताया गया है।

अतः अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ।"

12. This report shows that only one complaint had been received with respect to the type of work for which the lowest tenderer Mohd. Shafiq and Company had quoted rates for the year 2004-05 and that complaint had been made by Shri Mukesh Goyal, in whose favour contract had been awarded for the previous year, i.e., 2003-04, and who was undoubtedly to be the beneficiary, if contract was not awarded for the year 2004-05, since in that eventuality Shri Goyal would be entitled to work for the three months of

2004-05 even when his rates had been higher than those of the lowest tenderer Mohd. Shafiq and Company. It is also clear that the complaint of Shri Mukesh Goyal was not found to be of any substance. Thereafter, the then Chairman of the Corporation approved the rates of the lowest tenderer Mohd. Shafiq and Company and the files were received in the office on 7.7.2004. Thereafter, on 13.7.2004, Manager, Hoshangabad district sent a letter to Mohd. Shafiq to the effect that his rates had been approved and agreement might be executed within seven days. On 20.7.2004 Mohd. Shafiq sent a letter to the District Manager to the effect that he was under no obligation to enter into an agreement, as the offer was being made after the time stipulated in the terms of tender documents had expired and as the procurement work was already over. He also stated that his rates were the lowest but work was got done from another person at higher rates. The letter reads as under:

“उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के अनुसार नियम के अनुसार निविदा की शर्तों के तहत हमें कार्य समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद सूचना दी है।

निविदा की शर्तों के अनुसार समय समाप्त हो चुका है जिसके लिये इस अनुबंध कराने के लिये बाध्य नहीं हूँ।

कृपया निविदा में लगी अर्नेस्ट मनी की राशि हमें वापस करने का कष्ट करें। यहां उल्लेखनीय है कि मेरी दरे निविदा प्रस्तुत के समय कम थी फिर भी मुझे कार्य न देकर अधिक दर वाले परिवहनकर्ता से कराया गया। वर्तमान में कार्य न होने पर मुझे अनुबंध कराने हेतु कहा जा रहा है जो कि उचित नहीं है।”

13. The State Government, department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, vide notification No.F-5-2/2004/29-1 dated 1.3.2004 had notified that the procurement work of wheat for the rabi season of 2004-05 was to be done from 15.3.2004 till 31.5.2004. This notification shows that there was complete justification for Mohd. Shafiq and Company to reject the

offer to enter into an agreement made as late as 13.7.2004, as the work was already over.

Following are the relevant terms and conditions of the tender:

- 4.2 निष्पादित किये गये निर्धारित करार की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि कारपोरेशन के महाप्रबंधक परिवहन चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु उसमें तीन माह की वृद्धि की जा सकेगी, जिसे मानने के लिये परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
- 4.3 निविदा फार्म में प्रस्तुत की गई दरें निविदा खुलने के दिनांक से स्वीकृति के लिये 120 दिन वैध रहेंगी तथा इसकी आगामी दो माह अवधि बढ़ाने का अधिकार कारपोरेशन को रहेगा। अर्थात् ये दरें 180 दिवस तक वैध तथा निविदाकार को बंधनकारी रहेंगी।

14. A show cause notice was issued to Shri Dhurve on 10.1.2006 stating that he had abused his power to give undue advantage to Shri Mukesh Goyal and thereby had caused loss to the Corporation to the tune of Rs.8,02,495/-. Details of the loss were communicated alongwith the notice. By the notice, 3.2.2006 was fixed for filing reply in writing and 8.2.2006 for personal hearing. The notice was served on him through his peon. However, neither the reply was received nor anyone appeared on 8.2.2006. As such, another notice was sent fixing 1.3.2006 for reply in writing and 9.3.2006 for personal hearing. By letter dated 22.2.2006, Shri Dhurve made a request for giving more time for filing reply in writing upto 17.3.2006 and personal hearing beyond 25.3.2006. Time was granted as requested and 25.3.2006 was fixed for personal hearing. Two replies were filed by Shri Dhurve, one dated

10.3.2006 and the other dated 25.3.2006 and he personally appeared for hearing on 25.3.2006.

Shri Dhruve has pleaded that the allegations made against him are not true. He has taken the following pleas to justify his conduct:

- (i) Shri Mukesh Goyal had made a complaint on 26.12.2003 to the effect that the work and conduct of Mohd Shafiq and Company had been of low standard in the past and his capacity for work and method of work had not been practical and in this connection, report might be called in respect of the works done by Mohd. Shafiq and Company for Raisen, Bhopal, Hoshangabad and Sehore for the years 2001-02 and 2002-03; he did not have trucks in required numbers and if work was given to him, he would not be able to complete the work which would have adverse effect on the Corporation. In the circumstances, it was his responsibility to get the matter examined because when approving the rates, it was not enough to see the lowest rates tendered but also the working capacity, willingness and promptness. The final enquiry report was received on 3.6.2004;
- (ii) Rates tendered by Mohd. Shafiq and Company were so low that it was not possible to do work on those rates and this is proved by the fact that when offer was made to him to enter into an agreement, he declined to do so;

- (iii) If rates tendered by Mohd. Shafiq had been accepted without getting the complaint enquired into against him, he would not have done the work and then tenders would have to be called again which would have resulted in delay and there was no possibility that the rates tendered subsequently would have been low, this would have adversely affected the work;
- (iv) Had his intention been to give undue advantage to Shri Mukesh Goyal, he, in exercise of his powers, could have called tenders again; and
- (v) Three months time was extended to Shri Mukesh Goyal as per the terms of the contract.

Plea No. (i)

15. The Managing Director of the Corporation had approved the rates quoted by the lowest tenderer Mohd. Shafiq and Company on 20.12.2003 and sent the proposals for approval to Shri Dhurve. All the three files which related to Banapura, Itarsi and Pipariya points were received back by the Head Quarter from him on 5.3.2004. The files relating to Banapura and Itarsi points had been signed by Shri Dhurve as token of approval but he did not put any date below his signatures. Since, the files were received back by the Head Quarter on 5.3.2004, there is no option but to assume that the two files relating to Banapura and Itarsi points were signed by him on 5.3.2004. On 9.3.2004, Manager (Transport) had sent a letter to the Regional Manager of the Corporation that the files mentioned in that letter were being sent after

getting approval of the Chairman for completing all the necessary formalities for execution of the contract. Two of the files related to Itarsi and Banapura. But, before any progress could be made in the matter, these two files were called back from the Head Quarter at the instance of the Chairman, Shri Dhurve. On 12.3.2004, Manager (Transport) made a note, inter alia, stating that the Chairman had directed on that very date for putting the files relating to Hoshangabad district before him for perusal of performance report of the transporters. The report was put up before Shri Dhurve on that very date. In the report, there was nothing against the transporter Mohd. Shafiq and Company. Shri Dhurve sent back the files by putting a note 'चर्चा करे'. On 23.3.2004 the Managing Director discussed the matter with the Chairman. In the discussion, decision was taken that report be called from the Collector, Hoshangabad. After receiving the report, Assistant Manager (Transport) made a note on 12.4.2004 to the effect that the Collector Hoshangabad had reported that Mohd. Shafiq and Company had not done any work previously in the district and the lowest rates tendered by that company had already been approved, but the case could not be sent to the district because it was pending discussion and that the approved rates were lower than those of the previous year. These facts clearly show that Shri Dhurve had no genuine desire to get the work and conduct of Mohd. Shafiq and Company inquired into. Had there been any genuine desire, there could be no reason for approving the rates tendered by Mohd Shafiq and Company on the files relating to Banapura and Itarsi on 5.3.2004 and thereafter getting back the files

on 12.3.2004. If any enquiry was genuinely needed, the matter could be got examined in the month of December itself or latest by the middle of January, but this was not done. The files were sent to the Headquarter after the lapse of a long period on 5.3.2004, even when the same had been received by him on or about 20.12.2003 from the Managing Director. This could not be but for delaying the decision for some ulterior purpose and the ulterior purpose which can be inferred reasonably from the circumstances could not be other than that to give undue advantage to Shri Mukesh Goyal by permitting him to do work even beyond March 2004 at rates higher than those tendered by Mohd. Shafiq and Company.

16. Not only this, nothing was found against Mohd. Shafiq and Company about his work and conduct, even though the matter was referred to the officers again and again and the officers were pointing out that since Mohd. Shafiq had not been blacklisted, he could not be excluded from the tender process.

17. The plea that the final report was received on 3.6.2004 does not mean that the officers were responsible for the delay. The first report had been submitted by the officers on 12.3.2004, the date when Shri Dhruve had called for the files for perusal of the performance report of the transporters and on that very date it was pointed out that there was nothing against the work and conduct of Mohd. Shafiq and his work and conduct relating to Raisen done in the year 2003-04 had been found to be satisfactory. When Shri Dhruve was putting off the decision again and again and withholding the

files with him for long periods, it was not the officers but he himself was responsible for the delay. It is significant to mention that once the files were received by Shri Dhurve on 20.4.2004 and were sent to the office by him not before 1.6.2004 even when he had ceased to be the Chairman of the Corporation on 24.5.2004 with the note that the enquiry should be made into the complaints received against Mohd. Shafiq, which means that he had no genuine desire for the conduct of enquiries even in April 2004 for, otherwise there could be no question of his withholding the files. He must be presumed to know that even though he had made an order for enquiries, he was preventing the enquiries from being held by withholding the files with himself, since enquiry could not possibly be conducted unless the files on which he made the orders were sent by him to the office. Moreover, the complaint was general in nature and did not specify any points of misdemeanour needing any inquiry. It is therefore not possible to accept this plea of Shri Dhurve.

Plea No. (ii)

18. The plea that the rates tendered by Mohd. Shafiq and Company were so low that it was not possible to work on those rates, is not borne out from the records. No enquiry was ever conducted nor any suggestion was made by anyone including Shri Dhurve on any of the files at any time whether it was not possible to do work on the rates quoted by Mohd. Shafiq and Company. Furthermore, had Mohd. Shafiq and Company refused to enter into an agreement, if the offer had been made to him in time, the earnest

money deposited by him could have been forfeited. Besides, if Mohd. Shafiq and Company had not done work according to the terms of contract, work could have been got done at the risk and cost of Mohd. Shafiq and Company. There is absolute no merit in the submission that from the fact that Mohd. Shafiq and Company did not enter into an agreement when he was asked to do so, an inference follows that his intention was only to cause obstruction in the performance of the work and that he was not genuinely interested in the work. Under term No.4.3 of the invitation to tender, the rates offered by the tenderers were to be valid for 120 days from the date of the opening of the tenders and the Corporation had the power to extend this period by two months more. Since, the tenders were opened on 10.11.2003, the rates tendered could not be valid after 8.5.2004. Further, as mentioned earlier, since the work was already complete before 13.7.2004 when the offer was made to Mohd. Shafiq and Company, there was apparently no sense in entering into a contract at that point of time. There is no merit in this plea also.

Plea No. (iii)

19. The plea that if the rates tendered by Mohd. Shafiq and Company had been accepted without making enquiry into the complaint against him he would not have done the work and, therefore, tenders would have to be invited again resulting in delay and affecting the work is also without merit. The fact that the process of enquiry was initiated by him as late as 12.3.2004 even when the files had been received by him on 20.12.2003 and even after he had already approved the rates of Mohd. Shafiq and

Company relating to Banapura and Itarsi on or before 5.3.2004 shows that enquiry into the complaints was a pretence for delaying the decision in the matter for some ulterior purpose, the purpose being to give undue advantage to Shri Mukesh Goyal. The fact that he subsequently also delayed the taking of decision on one pretext or the other and withheld the files with him even after he had ceased to be the Chairman of the Corporation, further makes it manifest that his action was not bona fide. The plea that if the rates tendered by Mohd. Shafiq and Company had been accepted, he would not done work and tenders would have to be invited again and that there was no possibility for getting lower rates, is based purely on conjectures and not on any genuine belief or foundation.

Plea No. (iv)

20. The plea that had Shri Dhurve wanted to give undue advantage to Shri Mukesh Goyal, he could have ordered the invitation of tenders again, is also absolutely without merit. If an authority wants to abuse his power to give undue advantage to a person, there may be more than one way to do so which may be conceived by the authority. If one of these ways had been adopted, the plea that the other method was not adopted does not become a justification for the wrong method adopted. The facts have to be examined as they have been found. The matter is not to be examined on the basis of conjectures as to what would have happened if any other method would have been adopted. Furthermore, an authority is supposed to work in public interest to achieve the purpose which is intended to be achieved by law or the

rules or the prevalent practice and there is no absolute power vested in any authority to set at naught the tender process without any justification merely on the sweet will of the authority. No absolute power vests in any authority. This plea is also without merit.

Plea No. (v)

21. It is undoubtedly true that even after the expiry of the term of the contract, the General Manager of the Corporation has the power to get the work done from the contractor for three months more. This power is not meant to be exercised to cause harm to the Corporation or to deny equal opportunity to the various tenderers who participated in the tender process and who are eligible under the terms of the invitation to tender or to give undue benefit to the previous contractor whose term has expired and whose rates were higher than those of the lowest tenderer who has participated in the tender process for the relevant year. Therefore, there is no merit in the plea that the term of three months was extended in favour of Shri Mukesh Goyal as per the rules. The extension was in the circumstances an abuse of power.

Abuse of Power

22. A public servant is expected to perform his duty fairly in order to achieve the purpose which is intended to be achieved by him on the entrustment of the duty upon him. Duty is like debt. It must be discharged without delay or demur and without bias. Bias is like a drop of poison in a cup of pure milk. It is enough to ruin it and vitiate the whole action.

23. Decision of the Supreme Court in *State of A.P. v. T. Suryachandra Rao*, (2005) 6 SCC 149 is pertinent as to the meaning of the word fraud in public law and abuse of power. Relevant portion reads:

11.....
But "fraud" in public law is not the same as "fraud" in private law. Nor can the ingredients, which establish "fraud" in commercial transaction, be of assistance in determining fraud in administrative law. It has been aptly observed by Lord Bridge in *Khawaja v. Secy. of State for Home Deptt.* (1983) 1 All ER 765 : 1984 AC 74 : (1982) 1 WLR 948 (HL) that it is dangerous to introduce maxims of common law as to effect of fraud while determining fraud in relation to statutory law. "Fraud" in relation to statute must be a colourable transaction to evade the provisions of a statute.
"If a statute has been passed for some one particular purpose, a court of law will not countenance any attempt which may be made to extend the operation of the Act to something else which is quite foreign to its object and beyond its scope.' Present-day concept of fraud on statute has veered round abuse of power or mala fide exercise of power. It may arise due to overstepping the limits of power or defeating the provision of statute by adopting subterfuge or the power may be exercised for extraneous or irrelevant considerations. The colour of fraud in public law or administrative law, as it is developing, is assuming different shades. It arises from a deception committed by disclosure of incorrect facts knowingly and deliberately to invoke exercise of power and procure an order from an authority or tribunal. It must result in exercise of jurisdiction which otherwise would not have been exercised. That is misrepresentation must be in relation to the conditions provided in a section on existence or non-existence of which power can be exercised..... In public law the duty is not to deceive." (See *Shrisht Dhawan v. Shaw Bros.* 7 (1992) 1 SCC 534, para 20.)

12. In that case it was observed as follows: (SCC p.553, para 20)
"20. Fraud and collusion vitiate even the most solemn proceedings in any civilised system of jurisprudence. It is a concept descriptive of human conduct. Michael Levi likens a fraudster to Milton's sorcerer, Comus, who exulted in his ability to, 'wing me into the easy-hearted man and trap him into snares'. It has been defined as an act of trickery or deceit. In *Webster's Third New International Dictionary* fraud in equity has

been defined as an act or omission to act or concealment by which one person obtains an advantage against conscience over another or which equity or public policy forbids as being prejudicial to another. In *Black's Law Dictionary*, fraud is defined as an intentional perversion of truth for the purpose of inducing another in reliance upon it to part with some valuable thing belonging to him or surrender a legal right; a false representation of a matter of fact whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or by concealment of that which should have been disclosed, which deceives and is intended to deceive another so that he shall act upon it to his legal injury. In *Concise Oxford Dictionary*, it has been defined as criminal deception, use of false representation to gain unjust advantage; dishonest artifice or trick. According to *Halsbury's Law of England*, a representation is deemed to have been false, and therefore a misrepresentation, if it was at the material date false in substance and in fact.

Conclusion

24. From the above discussion, it is proved, prima facie, that Shri Dhurve by unnecessarily delaying the decision (i) by withholding the files with himself for long periods (ii) by calling back the files even after approving the rates of the lowest tenderer, (iii) by adopting the strategy "to discuss" and (iv) also by inventing a justification for the delay which did not really exist that enquiry into the work and conduct of Mohd. Shafiq and Company was necessary before taking the final decision, with the ulterior purpose of giving undue pecuniary advantage to Shri Mukesh Goyal and causing corresponding loss to the Corporation to the tune of Rs.8,02,495/-, abused his position as a public servant, which is punishable under the Prevention of Corruption Act. He also violated the fundamental right of equality of Mohd. Shafiq. This is a fit case for investigation by the M.P. Special Police Establishment after registering a crime case against Shri Om Prakash Dhurve,

who was Minister of Food and Civil Supplies in the State of Madhya Pradesh and also Chairman of the M.P. State Civil Supplies Corporation Limited at the relevant time and so, I direct the Director General, Madhya Pradesh Special Police Establishment to do so. I further direct that investigation be done in the case according to law by an officer not below the rank of Superintendent of Police. The entire record be transferred to the Special Police Establishment.

(R. Dayal)
Lokayukt
03.05.2006

श्री आनन्द शर्मा पार्षद वार्ड क्रमांक-55 लश्कर ग्वालियर द्वारा नगर निगम ग्वालियर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के डामरीकरण कार्य में ठेकेदार की अधिक दरों की निविदायें स्वीकृत कर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में लगाये आरोप की जांच लोकायुक्त कार्यालय की तकनीकी शाखा से करवाई गई।

तकनीकी शाखा द्वारा नगर निगम ग्वालियर से आरोप के संबंध में प्राप्त जानकारी तथा अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया गया। परीक्षण में डामरीकरण कार्यों की अधिक दर की निविदायें स्वीकृत करके निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने की पाई गई अनियमितता पर संबंधित प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाये गये अनावेदकों से कारण बताओ सूचना के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये।

उपर्युक्तानुसार जांच के उपरांत ग्वालियर शहर के विभिन्न मार्गों के डामरीकरण कार्यों की अधिक दर की निविदायें स्वीकृत करने की गंभीर वित्तीय अनियमितता पर तकनीकी शाखा द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं। जांच प्रतिवेदन को इस टीप का अंश माना जावे।

श्री पूरन सिंह पलैया तत्कालीन महापौर, श्री दुर्गादास अरोरा तत्कालीन मनोनीत अध्यक्ष एवं तत्कालीन पार्षदगण सर्वश्री नरेश गुप्ता, रवीन्द्र सिंह राजपूत, सतीश सिकरवार, श्रीमती सुनीता शिवहरे, श्रीमती विनती शर्मा, रामस्वरूप आर्य, ताराचंद जाटव, जयनारायण सगर एवं गौकुल केबरे जानबूझकर डामरीकरण के 13 कार्यों की अधिक दरों की निविदायें स्वीकृत कर निगम को आर्थिक हानि एवं ठेकेदारों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाने के लिये उत्तरदायी पाये जाते हैं।

अतः उपर्युक्तानुसार अनावेदकों के विरुद्ध लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा-12 (1) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के सेक्शन 17 'ए' के प्रावधानुसार अगले पांच वर्षों के लिये पार्षद पद पर चुनाव चयन या नियुक्ति के लिये अपात्र घोषित करने का आदेश पारित करने की अनुशंसा की जाती है।

(रिपुसूदन दयाल)
लोकायुक्त

Case No. V/32/135/2003-04

**RECOMMENDATIONS TO DISQUALIFY THE MAYOR, SPEAKER & 9
COUNCILLORS OF MUNICIPAL CORPORATION, GWALIOR**

On an inquiry on a complaint, it was found that for asphaltting of roads a contractor had quoted the rate 9.9 % below C.S.R. whereas at the same time for similar work, the rate quoted was 8 % above C.S.R. The committee of officers did not recommend the acceptance of the tenders and clearly pointed out this factual position. Despite this, the tender was accepted. It was clear that the difference between the two rates was excessively high and acceptance of rate 8 % above C.S.R. could not be but an abuse of power. Involvement of the then Mayor, Speaker and 9 councillors in corruption was clear. Recommendation was made to the Government that these persons be declared disqualified for further election or nomination as a Councillor for a period of 5 (five) years as per the provisions of section 17-A (1) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 on 4.8.2005.

प्रकरण क्रमांक— वि/38/08/2006—07 एम.पी.नगर जोन—2 भोपाल में सीमेंट, कांकीट एवं नाली निर्माण।

श्री आरिफ अकील, भोपाल से दिनांक 01.06.2006 को प्राप्त शिकायत में आरोपित था कि एम.पी. नगर जोन—2 भोपाल में सीमेंट, कांकीट रोड और नाली निर्माण का कार्य निविदा में अनियमितता कर अधिक दर की निविदा स्वीकृत कर कराया गया। ऐसा करके नगर निगम भोपाल को रू. 85.00 लाख की क्षति पहुँचाई गई है और कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है।

माननीय लोकायुक्त के आदेशानुसार नगर पालिक निगम, भोपाल से अभिलेख/जानकारी प्राप्त कर शिकायत में वर्णित आरोपों की जाँच की गई। जाँच में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित आयुक्तगण तथा पार्षदगण को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उत्तर प्राप्त किये गये तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

शिकायत की जाँच में यह पाया गया कि महाराणा प्रताप नगर, भोपाल में कांकीट सड़क एवं नाली निर्माण कार्य हेतु नगर पालिक निगम, भोपाल में दिनांक 14.03.2005 को निविदायें प्राप्त की गईं, जिसमें न्यूनतम दर 7.2 प्रतिशत SOR से कम में शेपर्स कंस्ट्रक्शन भोपाल की थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा के साथ निविदा समिति ने आयुक्त को, आयुक्त ने मेयर—इन—काउंसिल को और मेयर—इन—काउंसिल ने निगम परिषद को प्रेषित किया। निगम परिषद ने दिनांक 21.03.2005 को संकल्प क्र. 11 पारित कर उक्त निविदा को निरस्त कर दिया और पुनः निविदा आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया। निविदा निरस्त करने के यह कारण बताये कि प्राप्त न्यूनतम दर 7.2 प्रतिशत SOR से कम पर कार्य करना संभव नहीं है, इस कारण गुणवत्ता प्रभावित होगी तथा जन भागीदारी की राशि प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण के परीक्षण में यह पाया गया कि निगम परिषद द्वारा बताये गये ये कारण गलत थे, क्योंकि स्थल की परिस्थिति, सामग्री की उपलब्धता, दूरी, मूल्यों में घट—बढ़, मशीनों/कार्यबल को गतिशील रखने, ओवरहेड खर्चे बचाने आदि कारणों से ठेकेदार स्वयं अधिक लाभ न लेकर SOR से कम दरें देकर भी कार्य करते हैं। निविदा समिति, आयुक्त और मेयर—इन—काउंसिल के मत में उक्त दर 'कार्ययोग्य' थी, वर्ष 2005 के बाजार मूल्यों के आधार पर दर विश्लेषण करने पर भी यह दर 'कार्ययोग्य' थी। ठेकेदार द्वारा निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबंध नहीं करने अथवा अनुबंध करने के पश्चात कार्य नहीं करने या अधूरा छोड़ देने पर उसके विरुद्ध

वैधानिक कार्यवाही की जा सकती थी, कार्य की गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु निगम का स्वयं का तकनीकी अमला मौजूद था और कार्य हेतु निगम के बजट मद, जिससे बाद में कार्य कराया गया, में राशि उपलब्ध थी तथा एक तरफ तो जनभागीदारी का पैसा प्राप्त नहीं होना बताकर निविदा निरस्त की गई, जबकि दूसरी में 15.58 प्रतिशत का अंतर किन परिस्थितियों में सम्भव है, इसके लिए दर विश्लेषण प्रस्तुत करें। कांड कंसलटेंट से दर विश्लेषण करवाया गया। कांड कंसलटेंट ने 16 एवं 32 मि.मी. व्यास की लोहे की छड़ों की मानक मात्रा 10.620 टन के विरुद्ध 18.90 टन लेकर दर विश्लेषण किया। इस प्रकार मानक मात्रा 8.3 टन बढ़ाकर गणना की गई, जिससे आयटम की वास्तविक दर 2978/— रुपये प्रति घ.मी तरफ इस मद में पैसा प्राप्त किये बिना उसी संकल्प में पुनः निविदा बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार न्यूनतम दर 7.2 प्रतिशत **SOR** से कम की दर जान-बूझ कर बगैर किसी ठोस आधार के ठेकेदार को अवैध लाभ पहुंचाने के लिये निरस्त की गई, जिससे बाद में अधिक दर पर ठेका दिया जा सके। द्वितीय आमंत्रण में निविदा दिनांक 28.04.2005 को प्राप्त की गई। यह निविदा न्यूनतम दर 16.2 प्रतिशत **SOR** से अधिक आने के कारण आयुक्त द्वारा निरस्त कर दी गई। तृतीय आमंत्रण में निविदा दिनांक 27.05.2005 को खोली गई। इस बार न्यूनतम दर 8.91 प्रतिशत **SOR** से अधिक मे. शेपर्स कंस्ट्रक्शन भोपाल की ही प्राप्त हुई। दिनांक 01.06.2006 को निगोशिएशन पश्चात 8.38 प्रतिशत **SOR** से अधिक की दर मे. शेपर्स कंस्ट्रक्शन की प्राप्त हुई। निविदा समिति द्वारा दिनांक 7.06.2005 को इस दर की स्वीकृति की अनुशंसा आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को की गई। आयुक्त ने उसी दिन लिखा कि प्रथम एवं तृतीय आमंत्रण में प्राप्त एक ही फर्म की न्यूनतम दर में दो माह . के स्थान पर 3310/— रुपये प्रति घ.मी. आ गई, ऐसा करके दर 11.14 प्रतिशत **SOR** से अधिक प्राप्त कर ली गई। लोहे की छड़ों की **standard data book of MORTH** में दी गई मानक मात्रा से गणना करने पर दर **SOR** की दर के बराबर प्राप्त होती है। कांड कंसलटेंट्स ने अपनी रिपोर्ट में लोहे की मानक मात्रा जान-बूझ कर बढ़ाकर दिखाई, जिससे अधिक दर की निविदा स्वीकृत की जा सके। इसके अतिरिक्त कांड कंसलटेंट्स द्वारा 10 प्रतिशत ओवरहेड खर्च और 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ जोड़कर 11.14 प्रतिशत **SOR** से अधिक की दर प्राप्त की गई थी। यदि ओवरहेड खर्चों की गणना 5 प्रतिशत की दर से और ठेकेदार के लाभ की गणना भी 5 प्रतिशत की दर से की जाये तो कार्य 10 प्रतिशत **SOR** से कम दर पर किया जा सकता था। यह भी उल्लेखनीय है कि ठेकेदार अन्य आर्थिक कारकों को भी प्रभावित कर सकते हैं। निगम परिषद द्वारा नेगोशियेटेड दर 8.38 प्रतिशत **SOR** से अधिक स्वीकृत की गई। मात्र तीन माह (21.3.05-16.6.05) से भी कम समय में प्रथम आमंत्रण में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर 7.2 प्रतिशत

SOR से कम निरस्त कर तृतीय आमंत्रण में प्राप्त निगोशियेटेड दर 8.38 प्रतिशत SOR से अधिक को स्वीकृत करने से नगर पालिक निगम, भोपाल को लगभग 85.00 लाख रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार यह पाया गया कि अनावेदकगण 39 पार्षदों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये प्रथम आमंत्रण में मेसर्स शेपर्स कंस्ट्रक्शन की 7.2 प्रतिशत SOR से कम दर, बाद में उसी ठेकेदार को अधिक दर पर ठेका देकर अवैध लाभ पहुंचाने के लिये जान-बूझकर निरस्त की गई। इसे निरस्त करने के जो कारण बताये गये वे पूर्णतः गलत थे। ऐसा करके पार्षदों ने निगम को लगभग 85 लाख रुपये की हानि पहुंचाई। इस कारण उक्त पार्षदों का पद पर बने रहना लोकहित या निगम हित की दृष्टि से अवांछनीय पाया गया, तदनुसार म.प्र. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी/संभाग आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल को पत्र दिनांक 30.03.2007 से अनुशंसा की गई कि उत्तरदायी पाये गये अनावेदक 39 पार्षदगण (1) श्री बलवीर यादव, (2) श्रीमती ईश्वरी नाथानी, (3) श्री परसराम मीणा, (4) श्री राजेश हिंगोरानी, (5) श्री विष्णु खत्री, (6) श्रीमती सुजाता गुप्ता, (7) श्री कमलेश कुशवाहा, (8) श्री पुष्पेन्द्र जैन, (9) श्री विष्णु राठौर, (10) श्री पंकज चौकसे, (11) श्री कृष्ण मोहन सोनी, (12) श्रीमती शिवमणी मारण, (13) श्री अशोक पाण्डे, (14) श्री अनिल अग्रवाल, (15) श्रीमती शारदा पांतावने, (16) श्रीमती कमलेश यादव, (17) श्रीमती वंदना परिहार, (18) श्री रामेश्वर राय दीक्षित, (19) श्री पप्पू विलास, (20) श्रीमती सुषमा साहू, (21) श्रीमती सुनीता प्रताप गुर्जर, (22) श्री संजय शर्मा, (23) श्री दिनेश यादव, (24) श्री बी.के. सक्सेना, (25) श्रीमती वंदना जाचक, (26) श्रीमती वंदना गजभिये, (27) श्री आशाराम शर्मा, (28) श्री आलोक संजर, (29) श्री भरत सिंह पाल, (30) श्री केवल मिश्रा, (31) श्री नारायणसिंह पाल, (32) श्री मुकेश राय, (33) श्री प्रेमसिंह ध्रुव, (34) श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, (35) श्री किशनलाल ग्वाला, (36) श्रीमती मालती राय, (37) सुश्री तुलसा वर्मा, (38) श्रीमती ममता तिवारी एवं (39) श्री बारेलाल अहिरवार को धारा 19 (1) (अ) नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार पद से हटा दिया जाये तथा धारा 19 (2) के अंतर्गत यह भी आदेश पारित किया जाये कि वे आगामी पांच वर्षों के लिये फिर से निगम के पार्षद नहीं हो सकेंगे। साथ ही यह भी अनुशंसा की गई कि उक्त पार्षदगण के अवैध निर्णय के कारण नगर निगम, भोपाल को हुई 85.00 लाख रुपये की वित्तीय हानि की वसूली के संबंध में संभागीय आयुक्त यदि उचित समझें तो जो भी कार्यवाही उचित समझें, करे।

Case No. V/38/08/2006-07 construction work of Cement Concrete Road and drain in M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal

A complaint was received from Mr. Arif Aqeel on 1st June 2006 to the effect that construction work of Cement Concrete Road and drain in M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal was being carried out by wrongfully awarding contract at a higher rate, as a result of which loss of Rs. 85 lac has been caused to the Municipal Corporation, Bhopal and the work was also being done of poor quality.

As per the directions of the Hon'ble Lokayukt, an enquiry was conducted by the Technical Cell of the organization. Show-cause notices were issued to the concerned Commissioners and 39 Councillors of the Corporation. They were given opportunity to file reply in writing and also for personal hearing. They filed their written reply and were also heard personally.

It was found in the inquiry that tenders had been opened for the aforesaid works on 14.03.2005. The lowest tender was of M/s Shapers Constructions, Bhopal quoting the rate of 7.2% below SOR. The Tender Committee recommended acceptance of this rate to the Municipal Commissioner, the Municipal Commissioner to the Mayor-in-Council and the Mayor-in-Council to the Municipal Council. On 21.3.2005 the Municipal Council rejected the tender and passed a resolution that fresh tenders be invited. One of the reasons given for this decision was that it was not possible to do work at such low rate of 7.2% below SOR and as such the work would be of low quality. Further reason given was that amount of public contribution had also not been received. It was found in the inquiry that both the reasons given were factually wrong. Some times contractors become ready to do work on low rates by reducing their profit margin having regard to the site condition, availability of the material, distances, fluctuations in the rates and the need to keep the work force in operation and also to reduce overhead expenses. The aforesaid rate was workable in the opinion of the Tender Committee, the Municipal commissioner and the Mayor-in-Council. It was also found on the rate analysis based on the market rates for the year

2005 that the work could be carried out at the rate of 7.2% below SOR. Note was also taken of the fact that if the contractor had not entered into a formal agreement after the acceptance of the tender or if the contractor would have left the work incomplete, legal action could be taken against him. Furthermore, technical staff was available with the Corporation to have control over the quality of the work. It was also found that the amount necessary for the work was available with the Corporation in budget head. Ultimately, the work was carried out from this head. On the one hand, the tender was rejected on the ground that public contribution had not been received, but on the other hand, without receiving any money in this head, by the same resolution a proposal was passed for inviting fresh tenders. Thus, the rate of 7.2% below SOR was deliberately rejected without any substantial reasons so that the contract could be given at a higher rate in order to give undue benefit to the contractor. Tenders invited on second call were also rejected. Tenders invited on third call were opened on 27.5.2005. This time the lowest rate of 8.91% above SOR was of the same contractor M/s Shapers Constructions. After negotiation the rate of 8.38% above SOR was received from the same contractor on 1.6.2005. Tender Committee recommended this rate to the Commissioner, Municipal Corporation on 7.6.2005. The Commissioner asked for the rate analysis to find out in what circumstances the difference of rates of 15.58% between the first and the third call was possible within two months from the same tenderer. Rate analysis was got done from Kand Consultants. Kand Consultants analysed the rate by taking 18.9 tonnes quantity of steel rods of 16 & 32 mm dia. against the standard quantity of 10.620 tonnes. Thus, it analysed the rates by increasing standard quantity of iron rods by 8.3 tonnes. Resultantly the rate of Rs. 3,310/- per cubic meter was obtained against the actual rate of Rs. 2,978/-. In this way, Kand Consultants got the rate of 11.14% above SOR. If rate had been analysed, as per the standard quantity of steel rods given in standard data book of MORTH, then it would have been equal to the SOR. Kand Consultants had intentionally increased the standard quantity of steel rods in

its report so that tender of higher rate could be accepted. Furthermore, Kand Consultants had arrived at the rate of 11.14% above SOR by including 10% for overhead expenses and 10% for contractor's profit. If overhead expenses are calculated at the rate of 5% and profit is also calculated at the rate of 5%, the work could be done at the rate of 10% below SOR. This is apart from the fact that the contractor can affect other economies also. The Municipal Council accepted the negotiated lowest rate of 8.38 % above SOR. Loss of Rs. 85 lac was caused to the Municipal Corporation, Bhopal by accepting the negotiated rate 8.38% above SOR after rejecting the lowest rate of 7.2% below SOR received in the first call within less than three months (21.03.2005 - 16.06.2005) It was thus found that the 39 councillors abused their powers by rejecting the first proposal of M/s Shapers Constructions Limited, Bhopal that quoted the lowest rate at 7.2 % below SOR, for wrong reasons, knowingly that the reasons given by them were wrong, in order to give undue benefit to the contractor by later awarding contract to the same contractor at a higher rate, thus causing a loss to the Corporation to the tune of Rs. 85 Lac. As such, continuance of these councillors any further was found not desirable in the interest of the public or the Corporation. Accordingly, recommendations were made to the competent authority i.e. the Commissioner Bhopal, to remove the councillors (1) Shri Balvant Yadav (2) Smt. Ishwari Nathani (3) Shri Parasram Meena (4) Shri Rajesh Hingorani (5) Shri Vishnu Khatri (6) Smt. Sujata Gupta (7) Shri Kamlesh Kushwaha (8) Shri Pushpendra Jain (9) Shri Vishnu Rathore (10) Shri Pankaj Choukse (11) Shri Krishna Mohan Soni (12) Smt. Shivmani Maran (13) Shri Ashok Pandey (14) Shri Anil Agrawal (15) Smt. Sharda Pantavne (16) Smt. Kamlesh Yadav (17) Smt. Vandana Parihar (18) Shri Rameshwar Rai Dixit (19) Shri Pappu Vilas (20) Smt. Sushma Sahu (21) Smt. Suneeta Pratap Gujar (22) Shri Sanjay Sharma (23) Shri Dinesh Yadav (24) Shri B.K. Saxena (25) Smt. Vandna Jachak (26) Smt. Vandna Gajbhiye (27) Shri Asharam Sharma (28) Shri Alok Sanjar (29) Shri Bharat Singh Pal (30) Shri Keval Mishra (31) Shri Narayan Singh Pal (32) Shri Mukesh Rai (33) Shri Prem Singh Dhruv (34) Smt. Sarita Shrivastava (35) Shri

Kishanlal Gwala (36) Smt. Malti Rai (37) Ms. Tulsa Verma (38) Smt. Mamta Tiwari (39) Shri Barelal Ahirwar under section 19 (1) (a) and further order under section 19 (2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956, that these persons shall not be eligible to become councillors of a Corporation for a period of 5 (five) years, in accordance with the procedure laid down by law. It was also asked to take appropriate action for the recovery of Rs. 85 Lac, if deemed proper.

अप0 क्र0 108/97 विरुद्ध श्री बी.पी. नोन्हारे , भारतीय वन सेवा, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) एवं अन्य में चालान प्रस्तुत ।

ग्राम नकटिया जिला जबलपुर के आदिवासियों के आवेदन पत्रों के आधार पर आयुक्त राजस्व संभाग जबलपुर द्वारा दिनांक 23.02.95 को उन्हें आवंटित भूमि पर लगे सागौन के वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई तथा आदेश की प्रति वनमण्डलाधिकारी जबलपुर को भेजे जाने के निर्देश दिए गए । आयुक्त जबलपुर द्वारा पारित आदेश नियमानुसार वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) को भेजा जाना था और वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) द्वारा ही कार्यवाही की जाकर बाद में वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) को वृक्षों की कटाई के आदेश दिए जाने थे परन्तु तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) श्री बी.पी. नोन्हारे ने आयुक्त राजस्व संभाग जबलपुर के पारित आदेश दिनांक 23.02.95 को प्राप्त कर स्वयं पेड़ों की कटाई के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी । काटी हुई लकड़ी के परिवहन हेतु पास (Transit Permit) भी श्री नोन्हारे, के निर्देश पर उप वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) द्वारा जारी किया गया जबकि परिवहन हेतु पास (Transit Permit) जारी करने के लिए वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) ही अधिकृत हैं । पेड़ों की कटाई के लिए सीमांकन, षड्यंत्र करके पटवारी से सीधे करा लिया गया जबकि सीमांकन हेतु तहसीलदार को आवेदन किया जाना था ।

श्री नोन्हारे ने कृषकों की भूमि के सागौन के पेड़ कटाई में ठेकेदारों के साथ षड्यंत्र कर अनेको अनियमितताएँ कर पद का दुरुपयोग किया, यहां तक कि बिना अनुमति के आरक्षित वन क्षेत्र के भी सागौन के पेड़ कटवा दिये ।

श्री बी.पी.नोन्हारे, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) द्वारा अन्य लोकसेवकों के साथ आपराधिक षड्यंत्र कारित करते हुए लोक सेवकों के रूप में अपनी पदीय हैसियत का दुरुपयोग कर आरक्षित वन क्षेत्र राजस्व क्षेत्र की भूमि में खड़े इमारती पेड़ों को कटवाकर राज्य शासन को रू0 35,20,000/- की क्षति पहुंचाई गई । उपरोक्त अपराध में धारा- 13(1) डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा 120 बी, भा0द0वि0 का अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये जाने पर श्री बी.पी.नोन्हारे, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) एवं अन्य के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग को पत्र क्र0 2017 दिनांक 21.05.03 लिखा गया । कई स्मरण पत्र भेजे गये। विधि एवं विधायी विभाग ने पत्र क्रमांक 8/68/03/पं.क्र. 677/21-क (अभि.) दिनांक 06.05.06 द्वारा श्री बी.पी.नोन्हारे को छोड़कर श्री सी.एम.पाण्डे, श्री आर.पी.शुक्ला, श्री राजकुमार दुबे, श्री देवन्द्रकुमार हल्दार की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की । श्री नोन्हारे की अभियोजन स्वीकृति नहीं प्राप्त होने से उन्हें छोड़कर, श्री एस.एल. बढेरा, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी, श्री सी.एम.पाण्डे, तत्कालीन उपमण्डलाधिकारी, श्री आर.पी. शुक्ला, तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, श्री एस.के. गुप्ता, तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी,

श्री राजकुमार दुबे, तत्कालीन वनरक्षक, श्री मुलायम चन्द्र खरे, तत्कालीन पटवारी, श्री देवेन्द्र कुमार हल्दकार, तत्कालीन पटवारी, श्री लालजी भाई, लकड़ी व्यापारी, एवं श्री एस.पी.पचौरी, व्यापारी के विरुद्ध चालान दिनांक 07.07.06 को माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

श्री बी.पी.नोन्हारे, भारतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारी होने के कारण उनकी अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन के द्वारा भारत सरकार को भेजे जाते हैं। श्री नोन्हारे, भा.व.से., के संबंध में अभियोजन स्वीकृति के लिये अनुरोध, पत्र दिनांक 21.5.03 से, राज्य शासन से किया गया। इसके उपरांत वर्ष 2003 में 2, वर्ष 2004 में 8, वर्ष 2005 में 10 एवं वर्ष 2006 में 7 स्मरण पत्र भेजे गये। इसके बावजूद भी श्री नोन्हारे की अभियोजन स्वीकृति का प्रकरण राज्य शासन के द्वारा भारत सरकार को भेजने की जानकारी अप्राप्त रही। इस प्रकार श्री नोन्हारे के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य (2007) 1SCC 36, में दिनांक 06.12.06 में निर्णित किया कि जिस पद का दुरुपयोग किया है उस पद पर यदि लोक सेवक नहीं है तो संज्ञान लेने के लिये अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। श्री बी.पी.नोन्हारे, भा.व.से., तत्कालीन वनमंडलाधिकारी (उत्पादन) जबलपुर वर्तमान में वनमंडलाधिकारी (उत्पादन) जबलपुर के पद पर नहीं हैं। उनके विरुद्ध चालान दिनांक 15.01.2007 को माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किया गया ।

Crime No. 108/1997

**CHARGE SHEET FILED AGAINST SHRI B.P. NONHARE, IFS, THE
THEN DFO (PRODUCTION) JABALPUR FOR ABUSING HIS POSITION**

Shri B.P. Nonhare, an officer of the Indian Forest Service, the then DFO (Production) started illegal felling of teak trees in the Forest land and thereby caused loss of Rs. 35,20,000/- to the Government. A criminal case was registered u/s 13(2) read with 13(1)(d), Prevention of Corruption Act, 1988 and 120B, Indian Penal Code. After investigation, it was found that Mr. Nonhare along with 9 other co-accused persons had misused his official position with corrupt motive. Charge Sheet was filed against the co-accused persons on 7.7.2006. At that time Charge Sheet could not be filed against Shri Nonhare for want of prosecution sanction under section 19, P.C.Act. Sanction for prosecution was sought vide letter dated 21.5.2003 sent to the State Government. Despite several reminders, the Madhya Pradesh Government did not forward the case to the Central Government for granting sanction. The Supreme Court laid down in Prakash Singh Badal Vs. State of Punjab (2007) 1 SCC 1 that prosecution sanction was not required u/s 19 of the P.C. Act in respect of a public servant, who ceased to be hold the post which he abused. In the light of this judgment, supplementary Charge Sheet has been filed against Shri Nonhare before the Special Court, Jabalpur on 15.1.2007

अपराध क्रमांक 57/2001 – श्री विनोद सेमवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास रतलाम, तत्कालीन कलेक्टर, रतलाम एवं अन्य ।

श्री दीपक तिवारी निवासी रतलाम की शिकायत के आधार पर संगठन में प्राथमिक जांच क्रमांक 31/99 दिनांक 22.7.99 को पंजीबद्ध की गई। प्राथमिक जांच में पाया गया कि श्री विनोद भाई पारिख को श्री विनोद सेमवाल, भा.प्र.से., तत्कालीन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, रतलाम, द्वारा 30,000 वर्ग फीट भूमि बिना किसी प्रतिफल के दी गई। अपराध घटित पाये जाने पर दिनांक 31.3.01 को श्री सेमवाल, भा.प्र.से., तत्कालीन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, रतलाम एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 57/2001 धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना में यह पाया गया कि रतलाम शहर में स्थित 11.21 एकड़ भूमि को दिनांक 28.10.1922 को तत्कालीन महाराजा रतलाम ने गुजरात जिनिंग एवं प्रोसेसिंग फेक्ट्री को 51 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दिया था। पट्टे की अवधि समाप्ति के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कलेक्टर रतलाम ने 12.2.93 को पट्टा निरस्त कर दिया तथा उक्त भूमि को शासकीय दर्ज करने एवं पट्टेदार को बेदखल करने का आदेश दिया। तदनुसार भूमि शासकीय भूमि के रूप में रिकार्ड में दर्ज हुई। तत्कालीन कलेक्टर, रतलाम का यह आदेश कहीं भी चैलेंज नहीं होने से अंतिम हो गया। श्री सेमवाल द्वारा श्री विनोद भाई पारिख को रतलाम शहर में स्थित 30,000 वर्ग फीट भूमि अवैध अनुचित लाभ पहुंचाते हुए बिना किसी प्रतिफल के दी गई। इस प्रकार उनके विरुद्ध धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सहपठित धारा 120बी भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में तत्कालीन माननीय लोक आयुक्त महोदय के द्वारा आरोपीगण को अभियोजित करने का निर्णय लिया गया।

श्री सेमवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी होने के कारण उनकी अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव राज्य शासन के द्वारा भारत सरकार को भेजे जाते हैं। श्री सेमवाल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विधि एवं विधायी कार्य विभाग मध्यप्रदेश को दिनांक 1.7.2003 को भेजा गया। इसके पश्चात निम्नानुसार विधि ओर विधायी कार्य विभाग भोपाल को स्मरण पत्र भेजे गये :-

1. पत्र क्रमांक 4252/अप0क0/57/01/विपुस्था/03 दिनांक 26.09.03
2. पत्र क्रमांक 971/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 10.02.04
3. पत्र क्रमांक 3602/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 17.02.04
4. पत्र क्रमांक 5860/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 25.08.04
5. पत्र क्रमांक 7668/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 25.10.04
6. पत्र क्रमांक 9513/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 21.12. 04
7. पत्र क्रमांक 9533/अप0क0/57/01 /विपुस्था/04 दिनांक 22.12.04

राज्य सरकार द्वारा प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार को नहीं भेजा गया। पत्र दिनांक 25.01.05 के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग ने अवगत कराया कि "श्री सेमवाल अभिलेख देखकर ही स्पष्टीकरण दे सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में श्री सेमवाल प्रशिक्षण पर विदेश में है, जिससे प्रकरण में समय लगना स्वाभाविक है।"

उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय लोकायुक्त महोदय ने दिनांक 25.02.05 को यह टिप्पणी दी :-

The Special Police Establishment sent letter dated 1st July 2003 to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law and Legislative Affairs Department, Bhopal, stating that sanction under Section 19(1)(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 was required for prosecuting Shri Vinod Semwal under Sections 13(1)(d) and 13(2) of

the Prevention of Corruption Act, 1988 and also under Section 120(B) of the Indian Penal Code and making a request that sanction might be obtained from the Government of India, and the same be sent to office of Special Police Establishment. In view of the decision of the Supreme Court in State of Himachal Pradesh v. M.P. Gupta, (2004) 2 SCC 349 and several other cases that sanction is not required under Section 197 of the Code of Criminal Procedure for the offence of criminal conspiracy punishable under Section 120(B), the State Government has consistently taken the view that sanction is not required under that provision. The State Government need not grant sanction under Section 120(B).

The request for grant of sanction under Section 19(1)(a) of the Prevention of Corruption Act was pursued by several reminders sent to the State Government. Vide letter No.D-2/102/2001/6/,d dated 25.1.2005, Shri R.C. Shrivastava, Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, General Administration Department communicated to the D.I.G., Special Police Establishment, Bhopal, that certain information had been called for from the Revenue department and also the Collector, Ratlam and on receipt of the same further action would be taken. It was further stated that before intimating the Government of India about the stand of the State Government, it would be necessary to get the version of Shri Semwal and since Shri Semwal would have to look into the records before he would submit his version and also because Shri Semwal was abroad for training, it would take time to take decision in the matter.

It would appear that the State Government has not sent their comments to the Government of India even after the expiry of 1½ years of making the request that sanction should be obtained from the Government of India and be sent to the office of Special Police Establishment, mainly for two reasons: firstly, that the State Government wants to have some more information to be able to prepare their comments to be forwarded to the Government of India and, secondly, that the State Government considers it necessary to give an opportunity to Shri Semwal to put forward his case before the State Government. In my view none of these two reasons affords a justification to the State Government for not complying the directive of the Supreme Court in Vineet Narain v. Union of India, AIR 1998 S.C. 889, that sanction should be granted within three months. The Supreme Court observed:

“59.....
15. Time limit of three months for grant of sanction for prosecution must be strictly adhered to. However, additional time of one month may be

allowed where consultation is required with the Attorney General (AG) or any other law officer in the AG's office.”

It is the constitutional obligation of every authority to faithfully comply with the directives of the Supreme Court. There is no doubt that the consideration of fair play and justice should be uppermost in the mind of every authority and the Competent Authority is no exception to it. But in an attempt for fair play, fair play itself cannot be displaced by importing the principles of natural justice where there is no scope for the application of those principles.

Grant of sanction is an administrative act. The purpose is to protect the public servant from harassment by frivolous or vexatious prosecution and not to shield the corrupt. The Competent Authority has to consider the matter on the basis of the material collected during investigation and placed before the sanctioning authority. Principles of natural justice do not apply in the discharge of such duty by the competent authority.

In *Jagjit Singh v. State of Punjab* 1996 Cri. L.J. 2962, the Punjab and Haryana High Court observed:

“8.....It was not for respondent No.3/Competent Authority/Director, Personnel, to judge the truth of the allegations made against Sunder Lal by calling for the record/report of his department in connection with the said matter. He had no jurisdiction to hold a parallel investigation into the allegations made against Sunder Lal.”

The Supreme Court observed in *State of Bihar v. P.P. Sharma*, AIR 1991 S.C. 1260:

“27.....The object of obtaining sanction is that the authority concerned should be able to consider for itself the material before the Investigating Officer, before it comes to the conclusion that the prosecution in the circumstances be sanctioned or forbidden.”

“67.....The order of sanction only is an administrative act and not a quasi-judicial nor a lis involved.....The question of giving an opportunity to the public servant at that stage as was contended for the respondents does not arise. Proper application of mind to the existence of a prima facie evidence of the commission of the offence is only a pre-condition to grant or refuse to grant sanction.”

Again, the Supreme Court pointed out in Superintendent of Police (CBI) v. Deepak Chowdhary, AIR 1996 S.C. 186:

“5.....The grant of sanction is only an administrative function, though it is true that the accused may be saddled with the liability to be prosecuted in a Court of law. What is material at that time is that the necessary facts collected during investigation constituting the offence have to be placed before the sanctioning authority and it has to consider the material. Prima facie, the authority is required to reach the satisfaction that the relevant facts would constitute the offence and then either grant or refuse to grant sanction. The grant of sanction, therefore, being administrative act the need to provide an opportunity of hearing the accused before according sanction does not arise.”

Law being well settled that the act of grant or refusal of sanction is an administrative act which is to be performed by the Competent Authority on the basis of the material collected during investigation and placed before the Competent Authority and the principles of natural justice are not applicable to such act, there is no warrant for the procedure adopted by the State Government who has simply to forward their comments along with the relevant papers to the Competent Authority who has to consider the grant or refusal of sanction on the basis of the material collected by the investigating officer.

It also needs be mentioned that Shri Semwal was the Commissioner, Bhopal Division from 26.12.2003 till 30.9.2004 and it was on 30.9.2004 or thereafter that he left India for abroad. Thus, Shri Semwal was in the country for about 15 months after the request was made to the State Government for obtaining sanction from the Central Government on 1st July 2003. It needs also be mentioned that Shri Semwal had made two representations first dated 30.04.2002 and the other dated 23.11.2002. During investigation, both were considered.

It would, therefore, be in the fitness of things, having regard to the settled legal position and the law laid down by the Supreme Court in Vineet Narain's case which it is the constitutional obligation of every public functionary to faithfully comply, that there should be no further delay in forwarding the matter for consideration of the Government of India.

(R. Dayal)
Lokayukt
25.02.2005

माननीय लोकायुक्त महोदय की उपरोक्त टीप विशेष पुलिस स्थापना द्वारा पत्र दिनांक 28.02.05 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजते हुए अनुरोध किया गया कि प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये राज्य सरकार केन्द्र सरकार को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण केन्द्र सरकार को नहीं भेजे जाने से निम्नानुसार स्मरण पत्र विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे गये:—

1. पत्र क्रमांक 2429/अप0क0/57/01 /विपुस्था/05 दिनांक 17.03.05
2. पत्र क्रमांक 4414/अप0क0/57/01 /विपुस्था/05 दिनांक 27.05.05
3. पत्र क्रमांक 5145/अप0क0/57/01 /विपुस्था/05 दिनांक 21.06.05
4. पत्र क्रमांक 6892/अप0क0/57/01 /विपुस्था/05 दिनांक 18.08.05
5. पत्र क्रमांक 8530/अप0क0/57/01 /विपुस्था/05 दिनांक 17.10.05
6. पत्र क्रमांक 646/अप0क0/57/01 /विपुस्था/06 दिनांक 24.01.06
7. पत्र क्रमांक 1568/अप0क0/57/01 /विपुस्था/06 दिनांक 24.02.06
8. पत्र क्रमांक 2132/अप0क0/57/01 /विपुस्था/06 दिनांक 10.03.06

- | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|--------------|--------|
| 9. | पत्र क्रमांक | 4562/अप0क0/57/01 | /विपुस्था/06 | दिनांक |
| | | 26.05.06 | | |
| 10. | पत्र क्रमांक | 7950/अप0क0/57/01 | /विपुस्था/06 | दिनांक |
| | | 31.08.06 | | |
| 11. | पत्र क्रमांक | 9434/अप0क0/57/01 | /विपुस्था/06 | दिनांक |
| | | 07.10.06 | | |
| 12. | पत्र क्रमांक | 10764/अप0क0/57/01 | /विपुस्था/06 | दिनांक |
| | | 22.11.06 | | |

उपरोक्तानुसार दिनांक 01.07.03 से 22.11.06 (3 वर्ष 4 माह की अवधि) तक लगातार पत्राचार करने के उपरांत भी राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्रकरण भारत सरकार को भेजने का निर्णय नहीं लिया गया।

म.प्र. शासन ने पत्र क्रमांक/फाईल नंबर 8/83/03/21/क (अभि) 07 भोपाल दिनांक 23.01.07 द्वारा धारा 197(1) द.प्र.स. 1973 के अंतर्गत श्री सेमवाल के विरुद्ध धारा 120बी. भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत अभियोजित करने के लिये अभियोजन स्वीकृति दिये जाने से इन्कार कर दिया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्री सेमवाल को धारा 120बी भा.द.वि. के अपराध में अभियोजित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। कई अपराधिक प्रकरणों में धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति अभीष्ट नहीं होने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन द्वारा ही लिया जा चुका है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाशसिंह बादल एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य के निर्णय सुप्रीम कोर्ट केसेस (2007) 1 में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया है :-

"50. The offence of cheating under Section 420 or for that matter offences relatable to sections 467, 468, 471 & 120B can by no stretch of imagination by their very nature be regarded as having been committed by any public servant while acting or purporting to act in discharge of official duty. In such cases, official status only provides an opportunity for commission of the offence."

उपरोक्त दृष्टांत से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो गया है कि धारा 120बी. भा.द.वि. के अंतर्गत किया गया अपराध लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो ऐसे अपराध के लिये अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य (2007) 1 SCC 36, में दिनांक 6.12.2006 में निर्णित किया कि जिस पद का दुरुपयोग किया है, यदि लोक सेवक उस पद पर नहीं है, तो संज्ञान लेने के लिये अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अतः श्री सेमवाल तत्कालीन अध्यक्ष नगर सुधार न्यास रतलाम तथा श्री विनोद भाई पारिख के विरुद्ध चालान दिनांक 24.1.2007 को माननीय विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक-1/2007 है।

Crime No. 57/2001

CHARGE SHEET FILED AGAINST SHRI VINOD SEMWAL, IAS, THE THEN CHAIRMAN, TOWN IMPROVEMENT TRUST, RATLAM AND COLLECTOR, RATLAM FOR ABUSING HIS POSITION

On a complaint, an enquiry was held against Shri Vinod Semwal, a senior IAS officer, the then Chairman, Town Improvement Trust and also the Collector Ratlam. It was found that by abusing his position, Shri Semwal illegally allotted 30,000 square feet government land worth Rs. 1,34,33,381/- situated in the City Centre, Ratlam to a businessman Shri Vinod Parikh, without any consideration. A criminal case u/s 13(2) read with 13(1)(d), Prevention of Corruption Act, 1988 and Section 120B, Indian Penal Code was registered against him. After investigation, sanction for prosecution was sought vide letter dated 1.7.2003 sent to the State Government. Despite twenty reminders, the Madhya Pradesh government did not forward the case to the Central Government and thereby delayed the process of granting sanction roughly for four years. The Supreme Court laid down in Prakash Singh Badal Vs. State of Punjab (2007) 1 SCC 1 that prosecution sanction was not required u/s 19 of the P.C. Act in respect of a public servant, who ceased to hold the post which he abused. In the light of this judgment Charge Sheet has been filed against Shri Semwal before the Special Court, Ratlam on 24.1.2007.

अप0क0-1/2007 विरुद्ध श्री एस0के0 पाण्डेय तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम,भोपाल।

श्री राम सिंह, निवासी-गुनगा, जिला भोपाल ने मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम भोपाल में हुए स्प्रिंकलर घोटाले की जांच एवं दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत शिकायत दिनांक 14/3/2006 को संगठन में प्रस्तुत की। शिकायत में मुख्यतः आरोप

यह है कि शिकायतकर्ता को वर्ष 2004-05 में 50 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट दिलवाने हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार कर उप संचालक, कृषि, भोपाल को भेजा गया जो उसी वर्ष में स्वीकृत हो गया। परन्तु जब वह दिनांक 31/3/2005 को सेट लेने के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम भोपाल के कार्यालय गया तो वहां उसे यह बताया गया कि उसका सेट किसी अन्य किसान को दे दिया गया है। श्री राम सिंह को बाद में किसी दूसरे कृषक श्री ज्वाला प्रसाद के नाम का स्प्रिंकलर सेट प्रदान कर दिया गया।

शिकायत के संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, भोपाल से प्रतिवेदन चाहा गया। मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, भोपाल द्वारा श्री एस.के. पांडे, शाखा प्रबंधक, भोपाल को दोषी पाया गया।

जांच में यह पाया गया कि उप संचालक, कृषि, भोपाल ने आदेश दिनांक 28/3/05 से 11,000/- रुपये कीमत का स्प्रिंकलर सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर श्री राम सिंह को स्वीकृत किया था। अतः कृषक श्री राम सिंह को स्प्रिंकलर सेट प्रदान किया जाना चाहिए था। श्री राम सिंह दिनांक 31/3/05 को जब मध्यप्रदेश कृषि उद्योग निगम भोपाल के कार्यालय स्प्रिंकलर सेट मांगने गया तो उसे स्प्रिंकलर सेट नहीं दिया गया बल्कि दिनांक 31.3.05 को श्री राम सिंह के नाम से झूठी रसीद 5500/- रुपये की काटी गई व शिकायतकर्ता का सेट किसी और को दे दिया गया। बाद में शिकायतकर्ता के कई बार संपर्क करने पर, शिकायतकर्ता से दिनांक 6/12/05 को 5500/- रुपये मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम भोपाल में जमा करवाये, परन्तु रसीद श्री राम सिंह के नाम की न देकर ज्वाला प्रसाद के नाम की दी गई व शिकायतकर्ता को स्प्रिंकलर सेट दे दिया गया। शिकायतकर्ता लगभग 8 माह तक जब चक्कर काटता रहा तो उसे संतुष्ट करने के लिए कृषक ज्वाला प्रसाद का प्रकरण बनाकर स्प्रिंकलर सेट प्रदान किया गया।

लोक आयुक्त संगठन की जांच में यह पाया गया कि श्री एस.के.पांडे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, दोषी हैं, जिस पर माननीय लोक आयुक्त महोदय ने निम्न निर्देश दिये "This seems to be a clear case of abuse of

power punishable under Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act. The file be sent to the SPE for appropriate action." प्रकरण में विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त संगठन, के द्वारा अपराध क्रमांक 1/2007 श्री एस.के.पांडे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, के विरुद्ध धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सन् 1988 के अंतर्गत दिनांक 6/1/2007 को पंजीबद्ध किया गया। अपराध विवेचनाधीन है।

Crime No. 01/2007

**CRIMINAL CASE REGISTERED AGAINST SHRI S.K. PANDEY,
BRANCH MANAGER, M.P. STATE AGRO INDUSTRIES
CORPORATION FOR ABUSING HIS POSITION**

As per the Government scheme, a sprinkler set was sanctioned in favour of the complainant Shri Ram Singh on 50% subsidy on the cost of the set. As he approached Bhopal Office of the Agro Industries Corporation to receive his set, he was informed that his allocated set had been delivered to some other person. He approached several times to procure his sanctioned set before the accused. Ultimately, a sprinkler set was handed over to him but it was sanctioned in the name of Jawala Prasad. It was revealed in the inquiry that to satisfy the complainant a fake case was prepared in the name of Jawala Prasad. The Hon'ble Lokayukt observed "This seems to be a clear case of abuse of power punishable under section 13 (1) (d) of the Prevention of Corruption Act...". Therefore, a criminal case was registered against Shri Pandey u/s 13(2) read with 13(1)(d), Prevention of Corruption Act, 1988 on 6.1.2007.

- -----

प्रकरण क्रमांक जां.प्र. 08/2007 – विरुद्ध श्री एम0ए0खान, तत्कालीन प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को भेजा गया सुझाव :-

श्री एम0ए0खान, तत्कालीन प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के विरुद्ध यह सूचना प्राप्त होने पर कि उनके द्वारा उक्त पदस्थापना के दौरान कथित तौर पर प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितताएँ की जा रही है। संगठन में जाँच प्रकरण क्रमांक 08/2007 पंजीबद्ध किया जाकर प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्रतिवेदन चाहा गया। एक शिकायती बिन्दु यह कि श्री खान द्वारा सागर कृषि उपज मंडी समिति में सचिव पद पर श्री बी.एस.ठाकुर के स्थान पर श्री एन.पी.साहू की पदस्थापना नोटशीट में राजनीतिक दबाव का उल्लेख करते हुए अवैध परितोषिक कथित तौर पर प्राप्त कर की गई, का गहनता से परीक्षण संगठन द्वारा किया गया।

प्राप्त शिकायत में विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों के परीक्षण से निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

- (क) दिनांक 30.11.06 से दिनांक 11.05.07 के मध्य मामले से सम्बद्ध निम्नानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापना आदेश प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रसारित किये गये:-
- (प) श्री एस.सी.जैन प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सागर को आदेश दिनांक 30.11.06 के द्वारा पथरिया में प्रभारी सचिव पदस्थ किया गया,
- (पप) श्री एच.डी.अहिरवार को आंचलिक कार्यालय सागर से पथरिया पदस्थ करने का आदेश दिनांक 10.01.07,
- (पपप) श्री एस.सी.जैन को पथरिया से भैसदेही पदस्थ करने का आदेश दिनांक 10.01.07,
- (पअ) श्री बी.एस.ठाकुर के स्थान पर श्री एन.पी.साहू को सागर मंडी का प्रभारी सचिव पदस्थ करने का आदेश दिनांक 23.02.07,
- (अ) श्री एन.पी.साहू के स्थान पर श्री बी.एस.ठाकुर को पुनः कृषि उपज मंडी समिति सागर में सचिव पद का प्रभार सौंपने का आदेश दिनांक 15.03.07,
- (अप) श्री एस.सी.जैन को भैसदेही के स्थान पर सागर मंडी का प्रभारी सचिव नियुक्त करने का आदेश दिनांक 28.03.07,

- (अपप)श्री एस.सी.जैन को सागर मंडी का प्रभार सौंपने का आदेश दिनांक 28.03.07 को स्थगित करने का आदेश दिनांक 30.03.07 एवं
- (अपपप) श्री एस.सी.जैन को सागर मंडी का प्रभार सौंपने का आदेश दिनांक 28.03.07 को प्रभावशील करने हेतु जारी आदेश दिनांक 11.05.07।
- (ख) पूर्व कंडिका में वर्णित स्थानान्तरण /पदस्थापना आदेश की श्रृंखला से स्पष्ट हुआ है कि श्री एस.सी.जैन को दिनांक 30.11.06 को पथरिया में पदस्थ किया गया, उन्हें दिनांक 10.01.07 को पथरिया से भैंसदेही पदस्थ किया गया। तदपश्चात् आदेश दिनांक 28.03.07 को उन्हें भैंसदेही के स्थान पर सागर पदस्थ किया गया। दिनांक 30.03.07 को दिनांक 28.03.07 का आदेश स्थगित किया गया। दिनांक 11.05.07 को दिनांक 28.03.07 का आदेश पुनः प्रभावशील किया गया। इस प्रकार दिनांक 30.11.06 एवं 11.05.07 की अवधि के बीच श्री एस.सी.जैन के स्थानान्तरण/पदस्थापना के संबंध में 5 आदेश प्रसारित किये गये। इसी प्रकार सागर मंडी में सचिव पद की पदस्थापना हेतु दिनांक 23.02.07 से दिनांक 11.05.07 के मध्य 5 आदेश प्रसारित किये गये। स्पष्ट है कि अल्प अवधि में एक अधिकारी की पदस्थापना के अनेक आदेश प्रसारित किये गये, वहीं एक ही पद के लिए भी अनेक आदेश प्रसारित हुए।
- (ग) प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 237 कृषि उपज मंडियों में से 40 मंडियों में प्रभारी सचिव प्रदस्थ हैं। सागर मंडी वर्ग (क) की वार्षिक आय रूपये 4.56 करोड़, पथरिया मंडी वर्ग (ग) की वार्षिक औसत आय रूपये 72.76 लाख तथा भैंसदेही मंडी वर्ग (घ) की वार्षिक औसत आय रूपये 5.53 लाख हैं। सागर मंडी के सचिव का वेतनमान रूपये 8500—13500 पथरिया मंडी एवं भैंसदेही मंडी के सचिव का वेतनमान 5500—9000 है। श्री बी.एस.ठाकुर का वेतनमान रूपये 5000—8000 पर मूल वेतन 7550/—, श्री एन.पी.साहू का वेतनमान रूपये 4500—7000/— पर मूल वेतन रूपये 6125/—, श्री एस.सी.जैन का वेतनमान रूपये 4500—7000/— पर मूल वेतन रूपये 6375/—है।

इस तरह श्री एन.पी.साहू और श्री एस.सी.जैन सागर मंडी के सचिव का पद धारण करने के लिए पात्र नहीं थे। पदस्थापना के दौरान मंडी की श्रेणी एवं उसकी

आय व पदस्थ होने वाले अधिकारी के वेतनमान एवं वेतन में कोई संबंध नहीं रखा गया।

(घ) प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्थानान्तरण अधिकार प्रबंध संचालक को है, परन्तु माननीय अध्यक्ष सह कृषि मंत्रीजी द्वारा लिखित में यह निर्देश दिये गए कि बिना मान० अध्यक्ष की अनुमति एवं पूर्व अनुमोदन के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति/स्थानान्तरण इत्यादि आदेश जारी नहीं किये जाएं। म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड में वर्ष-2007 में कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावशील नहीं थी।

3. प्राप्त शिकायत में विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि एक ही व्यक्ति के अल्प अवधि में अनेक स्थानान्तरण हुए और वहीं एक ही पद पर अल्पावधि में अनेक व्यक्ति पदस्थ हुए, जिससे प्रशासनिक कार्यकलाप एवं मंडी की आय प्रभावित होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। स्थानान्तरण के लिए सशक्त किये गए प्राधिकारी का यह दायित्व बनता है कि स्थानान्तरण इस तरह से हो कि वे कर्मचारियों के लिए पीड़ा पहुंचाने के अस्त्र के रूप में उपयोग नहीं हो और उसमें भ्रष्टाचार की लिप्तता का आभास न हो अथवा भ्रष्टाचार के लिए मार्ग न खुले। उल्लेखनीय है कि स्थानान्तरण कार्मिक प्रबंधन में नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका विवेकहीन एवं मनमानी उपयोग संगठन को अस्त-व्यस्त करने के लिए पर्याप्त रहता है।

4. म०प्र० सामान्य पुस्तिका परिपत्र भाग-एक क्रमांक-6 में शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सामान्य नीति जारी की गई। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति/मार्गदर्शी निर्देश जारी किया जाता है। स्थिति यह रही कि म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने ऐसी किसी सुविचारित नीति को अंगीकार करने से अपने का दूर रखा।

5. अतः प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, भोपाल को म०प्र०लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 16 के अंतर्गत यह सुझाव विभाग को भेजा गया, कि "म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सुचिवारित स्थानान्तरण नीति तैयार कर उसे लागू कराया जावे।"

संगठन द्वारा प्रेषित सुझाव के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए एक स्थानान्तरण नीति तैयार कर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने पत्र दिनांक 14 मार्च 2008 से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को निर्देशित किया कि बोर्ड, अनुमोदित स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करें।

—000—

E.R. No.313/2005

Recommendation against Shri M.A. Khan, IAS, for Departmental Enquiry

Thakur Soveren Singh, Member of the Legislative Assembly made a complaint dated 25.8.2006 against some officers of the M.P. State Seeds and Farm Development Corporation, Bhopal (herein-after referred as Seeds Corporation), annexing therewith a xerox copy of an order dated 03.03.2005 (Ex P-1), passed by Shri M.A. Khan, then Managing Director of the Seeds Corporation thereby suspending Shri A.K. Agarwal, Assistant Manager (Finance), Headquarters, Bhopal with immediate effect along with certain other documents. It was further directed in the note sheet of that date that suspension order be issued the same day and also that the draft charge sheet etc., be prepared and put up before 10.3.2005. Reasons given therein were that Shri Agarwal had indulged in gross misconduct involving gross indifference to duty, carelessness and corruption and suspension was necessary in order that departmental enquiry could be conducted against him independently and speedily. A xerox copy of the note-sheet dated 07.03.2005 by Shri M.A. Khan was also annexed, which states that in view of the recommendation made by the General Secretary of the BJP Organisation, Shri Agarwal be not suspended. A show-cause notice was issued to Shri M.A. Khan to explain in respect of the following three questions:-

- (i) Whether he was justified in not taking action, which he had himself considered only a few days back, as part of his duty, to take, at the instance of a political leader ?
- (ii) If not, whether he had not committed gross misconduct by allowing himself to be influenced by an irrelevant consideration?
- (iii) Whether this was a case of spineless bureaucrat or an instance of unethical alliance between political leadership and bureaucracy?

2. Shri Khan urged the following points in his explanation dated 21.11.2006 submitted by him:-

- (i) In a preliminary enquiry it was prima-facie established that Shri A.K. Agarwal had indulged in several serious financial irregularities and, therefore, he on 3.3.2005 issued an order suspending Shri Agarwal;
- (ii) On 7.3.2005 the General Secretary of the BJP told Shri Khan on telephone that some injustice had been done to Shri Agarwal and that Shri Agarwal wanted to produce some evidence which would help him in reaching the truth and, therefore, before taking any decision in the matter, he should hear Shri Agarwal. Thereupon, Shri Khan asked the General Secretary BJP to send Shri Agarwal to him so that he might give an opportunity of hearing to him. Immediately thereafter, he made a note dated 7.3.2005 that Shri Agarwal

be not suspended and then left for the Secretariat and when he came back from the Secretariat he was told by his office that suspension order had already been issued to Shri Agarwal. Therefore, there was no question of not implementing the suspension order. Shri Agarwal did not appear before him and he (Shri Khan) did not think it necessary to make any intervention in the order already passed. Probably, Shri Agarwal knew about the issue of suspension order and that must be the reason that Shri Agarwal did not come to see him on 7.3.05 or thereafter;

- (iii) Administrative officers have to meet almost every day with several people's representatives, senior politicians, social workers and esteemed citizens in respect of their complaints. The government also expects that hearing should not be denied in respect of their complaints and suggestions and that is the reason that he was prepared to hear Shri Agarwal;
- (iv) Had Shri Agarwal come to see Shri Khan to produce any material about his innocence, he (Shri Khan) would have certainly modified or recalled the order of suspension and would have passed a formal order giving reasons for the same. Since Shri Agarwal did not appear and no new material was brought before him, the earlier order dated 3.3.2005 which had already been issued suspending Shri Agarwal, continued to be effective; and

(v) He did not allow himself to be influenced by any political leader or any other pressure.

3. Shri Khan made a request for personal hearing, which was granted. He was personally heard on 8.12.2006. During the personal hearing, Shri Khan was asked whether, after the issue of the suspension order dated 3.3.2005, a departmental enquiry had been initiated against Shri Agarwal. Thereupon, Shri Khan replied that he was not aware about this, since he had been transferred from the Seeds Corporation and relieved from there in the second week of May, 2005. The office was directed to make an enquiry whether any subsistence allowance was being paid to Shri Agarwal subsequent to the suspension order dated 3.3.2005 and also about the initiation of the department enquiry against him. Vide order dated 16.1.07, Shri Prabhakar Bansod, the successor of Shri M.A. Khan informed this organisation that Shri Agarwal was not under suspension and, therefore, there was no question of any subsistence allowance being paid to him. Vide letter dated 16.4.2007 of this organisation, Shri Khan was asked to clarify about the conflict between the two versions: one that suspension order had already been issued before 7.3.2005 and the other that suspension order had not been at all issued, as communicated by Shri Bansod. Shri Khan submitted his explanation vide letter dated 9.5.2007, wherein he urged the following points:-

- (i) On 3.3.2005 itself the draft of suspension order was placed before him which was signed by him and was sent by his personal office to the concerned section for issue of the suspension order;
- (ii) In the context of the order issued by him on 7.3.2005, that the suspension order might not be issued, he had been informed that suspension order had been issued on 3.3.2005 itself;
- (iii) Suspension order dated 3.3.2005 bears dispatch number also which proves that the suspension order had been issued on 3.3.2005 itself;
- (iv) He had submitted his earlier explanation on the basis of the documents presented before him by the concerned officers;
- (v) He had ordered on 3.3.2005 that the suspension order was to be issued on that very date;
- (vi) It is not possible for him to say on what basis the present Managing Director had informed that suspension order had not been issued.

4. Vide letter dated 13.6.2007, the Managing Director of the Seeds Corporation was asked to send the officer/employee concerned whose duty was to issue the suspension order. The Seeds Corporation was also asked to send the original file relating to the suspension of Shri A.K. Agarwal. The Corporation replied that the file had been sent to the Agriculture Department of the Government of Madhya Pradesh. Thereafter, the Seeds Corporation

was asked to send a copy of the file. Accordingly, a xerox copy of the file was received by this Organisation. On perusal of the file, it transpires that note-sheet of 3.3.2005 was later on corrected in hand and the corrected copy incorporating the corrections in type was signed by Shri Khan on 7.3.2005 and thereafter the file was not sent to the concerned section. The noting dated 3.3.2005, which incorporated the corrections, made in hand is kept in the correspondence part of the file. The file also shows that on 26.2.2005 Shri A.S. Dhakar, who was the Assistant Manager in the Seeds Corporation at the relevant time prepared the draft of the show-cause notice and marked the file to the Secretary. The Secretary Shri Kaushal marked the file to Shri M.A. Khan, on the same day. Next noting is dated 7.3.2005 which is exactly in the same terms as the noting of 3.3.2005 with the only difference that the corrections made in hand in the noting of 3.3.2005 are incorporated in the noting of 7.3.2005 in type. Thereafter, the noting part of the file is silent upto 22.7.2005. On 22.07.2005, then Managing Director Shri S.K. Ved marked the file to the Assistant Manager (Finance) for his noting. The Assistant Manager Shri A.S. Dhakad made a note on 22.7.2005 that suspension order had not been issued in pursuance of the noting of the previous Managing Director Shri M.A. Khan dated 7.3.2005. He also noted that the draft charge-sheet to be issued to Shri A.K. Agarwal was ready and it should be shown to the Regional Manager Satna, who

had made the preliminary enquiry against Shri Agarwal and who was in Bhopal at that time. Further notings relate to the further proceedings about the issue of charge-sheet etc., to Shri A.K. Agarwal.

5. A perusal of the file thus reveals the following prominent features:-

- (a) The note-sheet signed by Shri M.A. Khan ordering the suspension of Shri Agarwal dated 3.3.2005 incorporates the corrections made in hand and is kept in the document part of the file;
- (b) The formal suspension order dated 3.3.2005 signed by Shri M.A. Khan bears the dispatch number;
- (c) The noting dated 7.3.2005 about the suspension of Shri Agarwal is exactly in the same terms as in the noting dated 3.3.2005 with the only difference that the corrections made in hand in the noting of 3.3.2005 are incorporated in type in the noting dated 7.3.2005;
- (d) The noting dated 7.3.2005 has an endorsement of being marked to the Secretary. Thereafter, there is no noting for more than four months. The next noting after 7.3.2005 is of 22.7.2005 of Shri S.K. Ved calling for the note of the Assistant Manager (Finance).

6. It was, therefore, necessary to enquire as to where the file was lying between 7.3.2005 and 22.7.2005. In this

connection, evidence of six witnesses was recorded. First witness is Shri Surendran K, who was Private Assistant to the Managing Director at the relevant time. His evidence is of no value since his duty did not include handling of files and he was not aware about the proceedings of suspension of Shri Agarwal. Second witness is Shri A.S. Dhakad, who was at the relevant time Assistant Manager in the Seeds Corporation. He has stated that on 26.2.2005 he had prepared the draft of the show-cause notice, which was to be issued to Shri Agarwal and marked the file to the Secretary and on the same day the Secretary Shri Kaushal marked the file to the Managing Director Shri M.A. Khan and thereafter he received the file from the Office of the Managing Director only on 22.7.2005. He has categorically stated that he did not see the file after 26.2.2005 until 22.7.2005. The Third witness is Shri Manoj Nikhar, who was working as Assistant in the personal staff of the Managing Director of the Seeds Corporation at the relevant time. His evidence is also of no value since he could not say as to where the file was lying between 26.2.2005 and 22.7.2005, as he did not deal with the file during that period. Fourth witness is Shri K.C. Kaushal, who was the Secretary in the Seeds Corporation from 14.2.05 till 15.7.2005. He has proved the noting made by Shri M.A. Khan on 3.3.2005 whereby Shri Khan directed the issue of the charge-sheet

against Shri Agarwal and also the suspension order. He has also deposed that though by the order sheet dated 3.3.2005 the file was marked to him, the file was never received by him, though he was the secretary. He has also proved the formal suspension order dated 3.3.2005. The fifth witness is Shri S.K. Ved, the successor of Shri M.A. Khan. Shri Ved took charge as Managing Director on 17.6.2005. According to his statement, the file was put up before him on 22.7.2005 for the first time. The sixth witness is Shri M.A. Khan himself. He has admitted to have signed the noting dated 3.3.2005 regarding suspension of Shri Agarwal. (The noting dated 7.3.2005 was shown to Shri Khan) He did not give any categorical reply about the order sheet dated 7.3.05. He said " I cannot say whether the signature purported to be mine bearing the date 7.3.2005 is genuine". However, he said that he did not deal with the file after 3.3.2005, though he admitted to have signed the order dated 7.3.2005 about the recommendation of the General Secretary of the BJP. The note-sheet is in Hindi in the following terms:

"भाजपा के संगठन महामंत्री ने श्री अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही न करने का अनुरोध किया है इसे देखते हुए आदेश जारी न किये जायें ।"

The English equivalent of the Hindi word "आदेश" is 'order'. He made a very peculiar statement by saying:"I do not remember to which order I meant when I used the word "आदेश" in my

order dated 7.3.2005 to the effect that order be not issued in view of the recommendation made by the General Secretary of BJP, copy of which is Ex.4". He tried to confuse the matter by saying that several matters were pending against Shri Agarwal. Thus he tried to say that though he had issued the order dated 7.3.2005 he could not say what was the real import of that order because he did not remember what he exactly meant by the word "आदेश". He has also stated that after making the noting dated 7.3.2005, he left the office for the Secretariat and after coming back to the office he enquired from the Incharge of the section as to whether the suspension order had been issued, and the Incharge replied that the order had already been issued. At the same time, he tried to accuse his loss of memory by saying that he could not recollect the name of the Incharge from whom he had made the enquiry precisely. He also stated that he did not take any further action regarding the issue of the charge-sheet against Shri Agarwal.

7. The statement of Shri M.A. Khan was recorded on 26.7.2007. On the same day, he volunteered to file another explanation in which he referred to the contents of his D.O. letter dated 7.3.2005 addressed to Shri O.P. Rawat, the then Principal Secretary, Chief Minister's Secretariat. In this D.O. letter he stated :

"7. उल्लेखित अनियमितताओं को देखते हुए सभी आरोपों के बारे में विधि अनुकूल निष्पक्ष ढंग से सूक्ष्म जांच करने के लिए आवश्यक था कि श्री ए0के0अग्रवाल सहायक प्रबंधक (वित्त) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को अभी तक कराई गई जांच और उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने तथा आगामी जांच प्रभावित न हो इस उद्देश्य से निगम मुख्यालय के आदेश दिनांक 03.03.2005 द्वारा निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, सतना किया गया है । क्षेत्रीय प्रबंधक, भोपाल ने दबाव में उसे जारी नहीं किया इसलिए उस आदेश को निरस्त कर दूसरा निलंबन आदेश जारी किया जा रहा है । साथ ही नियमानुसार इनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।"

8. On a careful analysis of the facts revealed from the perusal of the records and also the evidence collected during the enquiry, it is established that the explanation of Shri M.A.Khan in the representation dated 21.11.2006 is not credible for the following reasons:

(a) There is absolutely no reason to cast any doubt on the veracity and genuineness of the order sheet dated 7.3.2005. This order-sheet shows that the suspension order could not have been issued prior 7.3.2005. The fact that the suspension order had not been issued on 3.3.2005 is also clear from the D.O. letter dated 7.3.2005 addressed by Shri M.A. Khan to Shri O.P. Rawat, the then Principal Secretary, Chief Minister's Secretariat, to the effect that the Regional Office had not served the suspension order on Shri Agrawal under pressure and that another suspension order and charge sheet etc., were being issued. This statement belies totally the contents of his earlier representation dated 21.11.2006, where

he had categorically stated that the suspension order had been issued on 3.3.2005. Exact words used by him in the representation dated 21.11.2006 are as under:-

"बाद में जब मैं सचिवालय से लौटकर कार्यालय आया तो मुझे बताया गया कि मेरे पूर्व के आदेश दिनांक 03.03.2005 के पालन में श्री अग्रवाल का निलंबन आदेश उसी दिन जारी किया जा चुका है । अतएव जारी हो चुके आदेश को रोकने जाने का प्रश्न ही नहीं उठा । इसके उपरान्त ना ही श्री अग्रवाल सुनवाई के लिये उपस्थित हुए, ना ही मेरे द्वारा पूर्व में पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया । संभवतः दिनांक 03.03.2005 को आदेश जारी हो चुकने का तथ्य श्री अग्रवाल की जानकारी में भी रहा होगा, तभी वे दिनांक 07.03.2005 को या उसके बाद कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए ।"

There is left no doubt that Shri Khan deliberately made false statements in his representation dated 21.11.2006 and the deposition recorded in this organisation on 26.07.2007 that the suspension order had already been issued on 3.3.2005, besides proving himself to be an officer who could go to any extent in making false and contradictory statements from time to time;

(b) There is clear evidence that the file was not received in the concerned section on 3.3.2005 or shortly thereafter until 22.7.2005. This fact also shows that the suspension order could not have been issued on 3.3.2005;

(c) If the file had been sent on 3.3.2005 and if Shri Khan had directed his office to issue the suspension order on that very date, as he has said in his representation dated 21.11.2005 and had also stated in his noting dated 3.3.2005, it would have been natural for

Shri Khan to have told the General Secretary of the BJP during the course of the telephonic conversation that the suspension order had already been issued;

(d) If he had sent the file to the concerned section on 3.3.2005, he could not have made noting to the effect that suspension order be not issued in view of the recommendation of the General Secretary of the BJP;

(e) The overwhelming evidence on the record proving that suspension order was not issued, cannot be displaced by the mere fact that formal suspension order dated 3.3.2005 bears a dispatch number. If the Managing Director or any of his staff members had asked the dispatch section to give a dispatch number, the dispatch section could not insist that dispatch number would be given only when the formal order would be received in the dispatch section, for issue;

(f) The logic of Shri Khan allegedly asking his staff member whether the suspension had been issued, on 7.3.2005 after issuing the order on the note-sheet that suspension order be not issued in view of the recommendation of the General Secretary of the BJP is not at all comprehensible. If he was to make an enquiry whether the suspension order had been issued, it was to precede the issue and not to succeed it. If Shri Khan had really believed that suspension order had already been issued, it would have been

natural for him to go on with the process of issue of charge-sheet and initiation of the departmental enquiry, but he failed to do so;

(g) The statement of Shri Khan on oath to the effect that he did not take any further action regarding the issue of the charge sheet etc., against Shri Agarwal, since he had been told that suspension order had already been issued, is too astounding. It is note-worthy that in his order dated 3.3.2005 in the note-sheet he had clearly directed that the file be put up before him along with the draft charge-sheet etc., before 10.3.2005. If the suspension order had already been issued or was believed by Shri Khan to have been issued on 3.3.2005 and as such the order dated 7.3.2005 was not effective, there could be no question of the charge-sheet etc., having not been issued in the pursuance of order dated 3.3.2005.

9. The aforesaid facts undoubtedly reveal that Shri M.A. Khan has grossly misconducted himself in the following manner:

(i) He allowed himself to be influenced politically without any valid and compelling reason in passing the order dated 7.3.2005 that suspension order be not issued against Shri Agarwal in view of the recommendation of the General Secretary of the BJP;

(ii) He made a false statement in his reply dated 21.11.2006 that suspension order had already been issued before he had passed the order dated 7.3.2005 for not issuing the suspension order against Shri A.K. Agarwal;

(iii) He made a false and irresponsible statement on oath during the enquiry: " I cannot say whether the signature purported to be mine bearing the date 7.3.2005 is genuine." ;

(iv) He made false and irresponsible statement on oath during the enquiry : "I do not remember to which order I meant when I used the word "आदेश" in my order dated 7.3.2005 to the effect that order be not issued in view of the recommendation made by the General Secretary of BJP, copy of which is Ex.4" ;

(v) Once he had made a noting dated 3.3.2005 and also dated 7.3.2005 that Shri Agarwal had indulged in gross misconduct involving gross indifference to duty, carelessness and corruption and suspension was necessary in order that departmental enquiry could be conducted independently and speedily, that order could not be made ineffective by the order dated 7.3.2005 that in view of the recommendation of the General Secretary of the B.J.P. order be not issued against Shri Agarwal. Absolutely no reason has been given any where by Shri M.A. Khan how he was justified in putting in jeopardy his earlier decision dated 3.3.2005. His explanation in his representation dated 21.11.2006 that the administrative officers have almost every day to hear the public representatives, senior politicians, social workers and other esteemed citizens, instead of helping Shri Khan, compounds his misconduct further in as such as there may be no harm if the complaints against some injustice or suggestions for improvement are heeded but there could be no

excuse for derelicting his official duty of implementing his own decision, which he himself considered necessary to take, by being influenced by an extraneous consideration. If a subordinate employee tries to influence a public servant belonging to IAS cadre posted as Managing Director of a corporation politically that could not be equated to the solution of the general public grievances or suggestions for improvement. In a service matter of an individual subordinate employee, if before the issue of charge sheet any one is to be heard, that could be only the concerned public servant and none else and that too when he did not break the relevant conduct rules of not bringing any extraneous influence over the public servant. The fact that on 7.3.2005 or shortly thereafter Shri Agarwal did not approach him with any document to show that he was innocent could not have left any doubt in the mind of Shri Khan that Shri Agarwal was not interested in being heard and he had no material with him to justify interference with the order dated 3.3.2005;

(vi) Shri Khan inter alia stated in his representation dated 21.11.2006: " मेरे द्वारा उक्त आदेश दिये जाने के 03 दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक 7-03-2005 को भाजपा के संगठन महामंत्री द्वारा मुझे टेलीफोन करके कहा गया कि इस मामले में श्री अग्रवाल के साथ ज्यादाती हो गई है और कथित अनियमितताओं (गबन, केशमेमो गायब किए जाने) में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है और यह कृत्य किन्हीं अन्य लोगों का है। उनका कहना था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को निलंबित करने से उसकी ख्याति पर बट्टा लग जाता है और उसका केरियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, अतः प्रकरण में निर्णय लेने के

पहले मैं श्री अग्रवाल को एक बार सुन लूं । उन्होंने यह भी कहा कि श्री अग्रवाल कुछ ऐसे प्रमाण मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनसे मुझे सच्चाई तक पहुंचने में सहायता मिलेगी । इस पर मैंने उनसे कहा कि वे श्री अग्रवाल को मेरे पास भिजवा दें, मैं उन्हें सुनने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों पर विचार करने का तैयार हूँ ।"

The above extract is not compatible with the order dated 7.3.2005, which is in the following terms: "भाजपा के संगठन महामंत्री ने श्री अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही न करने का अनुरोध किया है इसे देखते हुए आदेश जारी न किये जायें ।"

Whereas the order dated 7.3.2005 shows that the suspension order was not to be issued only because of the recommendation of the General Secretary of the BJP, the above extract in his representation shows that no clear recommendation was made for not issuing the suspension order. Only Shri Khan was asked to do justice to Shri Agarwal by giving an opportunity of being heard to him and also considering the evidence which was to be produced before him. On 7.3.2005 or thereafter neither Shri Khan considered any further evidence nor heard Shri Agarwal. All this shows that Shri Khan conducted himself in a reprehensible manner throwing all canons of administrative procedure to the winds;

(vii) It was reprehensible on the part of Shri Khan, that after making the noting dated 3.3.2005 about the suspension of Shri Agarwal, he kept the file with himself so that suspension order could not be issued. Was he himself waiting for the political influence to intervene? His incongruous statements, which are not worthy of reliance, point unmistakably to his manipulative conduct;

(viii) Shri Khan threw all norms of good administrative behaviour. All public servants are obliged to perform their duty to the best of their ability in accordance with the principles of law and the relevant rules impartially and fairly. Elaborate provisions made in Part XIV of the Constitution indicate the great importance which the Constitution framers attached to the independence of the civil service. 'Rules of Business' of the executive government formulated by the State Government are also designed to achieve independent functioning of the civil service. As pointed out by the Supreme Court in *Roshan Lal Tondon v. Union of India*, AIR 1967 S.C. 1889 in Para 6: "the relationship between the Government and its servant is not like an ordinary contract of service between a master and servant. The legal relationship is something entirely different, something in the nature of status. It is much more than a purely contractual relationship voluntarily entered into between the parties. The duties of status are fixed by the law and in the enforcement of these duties society has an interest. In the language of jurisprudence status is a condition of membership of a group of which powers and duties are exclusively determined by law and not by agreement between the parties concerned."

10. Recommendation be, accordingly, made under section 12 (1) of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 to the competent Authority that disciplinary proceedings should be initiated against Shri M.A. Khan IAS who was Managing

Director of the Madhya Pradesh State Seeds and Farm Development Corporation in March 2005 along with the relevant documents and materials and other evidence. The competent authority shall intimate within three months the action taken or proposed to be taken on the basis of this recommendation.

(R. Dayal)
Lokayukt M.P.
31.07.2007

REGARDING SHRI KAPTAN SINGH SOLANKI

Political Interference not Permissible

By order dated 3.3.2005 passed by Shri M.A. Khan, the then Managing Director of the Madhya Pradesh Seeds and Farm Development Corporation, Bhopal, Shri A.K. Agarwal, Assistant Manager (Finance), Headquarters, Bhopal was suspended with immediate effect. Reasons given therein were that Shri Agarwal had indulged in gross misconduct involving gross indifference to duty, carelessness and corruption and suspension was necessary in order that departmental enquiry could be conducted against him independently and speedily. But the order was not served on Shri Agrawal and he was not placed under suspension. An order dated 7.3.2005 was passed by Shri Khan to the effect that the order of suspension be not issued because the General Secretary of the BJP Organisation had recommended him for not taking any action against Shri Agarwal. The order runs as under :-

"भाजपा के संगठन महामंत्री ने श्री अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही न करने का अनुरोध किया है इसे देखते हुए आदेश जारी न किये जायें ।"

2. The BJP General Secretary, Shri Kaptan Singh Solanki, was asked to clarify his position on the following two points :-

- (i) क्या श्री अशोक कुमार अग्रवाल, सहायक प्रबंधक (वित्त) म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को निलंबित किये जाने संबंधी तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री एम.ए.खान द्वारा हस्ताक्षरित आदेश को रोके जाने हेतु अनुरोध दूरभाष पर

श्री एम.ए.खान से किया गया था ? यदि हाँ तो किस कानून एवं नियम के अंतर्गत ?

(ii) यदि ऐसा अनुरोध तत्कालीन प्रबंध संचालक से किया गया था तो क्या यह लोक सेवक को स्वतंत्र रूप से उनके दायित्व के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में नहीं आयेगा ?

3. Shri Kaptan Singh Solanki gave the following clarification in his reply dated 5.7.2007 :-

"मैं एक राजनैतिक कार्यकर्ता हूँ । मुझसे रोज अनेकों लोग मिलते हैं और अपने कार्यों, समस्याओं के संबंध में निवेदन करते हैं । इतना समय बीत जाने के बाद आज की स्थिति में मेरे द्वारा याददाश्त के आधार पर यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि मेरे द्वारा उस समय ऐसा कोई अनुरोध तत्कालीन प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम से किया गया था या नहीं ; किन्तु मैं यह दृढतापूर्वक व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरा स्वभाव है मैंने कभी भी किसी अधिकारी, कर्मचारी या लोक सेवक के कार्य एवं कर्तव्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है ।

एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते यदि किसी व्यक्ति द्वारा मुझसे अपनी समस्या के संबंध में निवेदन किया जाता है तो विषय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से न्यायोचित कार्य करने का अनुरोध करना एक सहज और स्वभाविक कार्य है । ऐसा अनुरोध किया जाना लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालना नहीं कहा जा सकता है ।"

4. In his representation dated 21.11.2006 Shri M.A. Khan took a different stand by saying:

" मेरे द्वारा उक्त आदेश दिये जाने के 03 दिन पश्चात् अर्थात् दिनांक 7-03-2005 को भाजपा के संगठन महामंत्री द्वारा मुझे टेलीफोन करके कहा गया कि इस मामले में श्री अग्रवाल के साथ ज्यादाती हो गई है और कथित अनियमितताओं (गबन, केशमेमो गायब किए जाने) में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है और यह कृत्य किन्हीं अन्य लोगों का

है। उनका कहना था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को निलंबित करने से उसकी ख्याति पर बट्टा लग जाता है और उसका करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, अतः प्रकरण में निर्णय लेने के पहले मैं श्री अग्रवाल को एक बार सुन लूं। उन्होंने यह भी कहा कि श्री अग्रवाल कुछ ऐसे प्रमाण मेरे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनसे मुझे सच्चाई तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। इस पर मैंने उनसे कहा कि वे श्री अग्रवाल को मेरे पास भिजवा दें, मैं उन्हें सुनने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों पर विचार करने का तैयार हूं।”

5. What really transpired is difficult to ascertain because of the conflicting stands taken by Shri Khan from time to time. In respect of Shri Khan separate recommendation is being sent to the competent authority for action, as per the provision of Section 12(1) of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981

6. However, one thing is clear from the clarification given by Shri Solanki that he does not consider it to be against constitutional, legal and democratic norms to make recommendation to a Government Servant if any person approaches him for intervention on the ground that some injustice had been done to him. The question for consideration is whether such stand is compatible with the constitutional and democratic norms? If a political leader makes a recommendation to any Government Servant, in howsoever innocent terms it may be couched, there can be no doubt that the concerned Government Servant will get an impression that the political leader has some interest in the individual matter recommended upon in a particular manner. This will open the gates for operation of bias on the decision of the Government Servant.

This bias may result in grave injury to another person who has not brought such influence in his matter and also the quality of democratic governance, according to which all public servants are supposed to act without favour or ill-will to any one.

7. As per the democratic norms, determination of policy is the function of the Ministers, but once a policy is determined, it is the business of the civil servants to execute the policy. When a file with respect to an executive matter comes before a Minister, as per the prescribed procedure, the Minister can take decision which he considers lawful and reasonable but not so as to favour anybody. Favoritism is the enemy of equality and impartiality. He cannot, in any case, ask a public servant to make his noting on the file in a particular manner. All public servants are obliged to perform their duty to the best of their ability in accordance with the principles of law and the relevant rules impartially and fairly. Elaborate provisions made in Part XIV of the Constitution indicate the great importance which the Constitution framers attached to the independence of the civil service. 'Rules of Business' of the executive government formulated by the Central Government and the State Governments are also designed to achieve independent functioning of the civil service. As pointed out by the Supreme Court in *Roshan Lal Tandon v. Union of India*, AIR 1967 S.C. 1889 in Para 6 "the relationship between the Government and its servant is not like an ordinary contract of service between a master and

servant. The legal relationship is something entirely different, something in the nature of status. It is much more than a purely contractual relationship voluntarily entered into between the parties. The duties of status are fixed by the law and in the enforcement of these duties society has an interest. In the language of jurisprudence status is a condition of membership of a group of which powers and duties are exclusively determined by law and not by agreement between the parties concerned." Referring to the power of a Minister to interfere with investigation of a criminal case, the Supreme Court pointed out in *Vineet Narain & Others v. Union of India & Another*, (1998) 1 SCC 226 (Para-28): "It is sufficient to say that the Minister's general power to review the working of the agency and to give broad policy directions regarding the functioning of the agencies and to appraise the quality of the work of the head of the agency and other officers as the executive head is in no way to be diluted. Similarly, the Minister's power to call for information generally regarding the cases being handled by the agencies is not to be taken away. However, all the powers of the Minister are subject to the condition that none of them would extend to permit the Minister to interfere with the course of investigation and prosecution in any individual case and in that respect the officers concerned are to be governed entirely by the mandate of law and the statutory duty cast upon them." The Supreme Court in *Vineet Narain's* case also referred to the following

observations of Lord Denning in R. Vs. Metropolitan Police Commr.,
1968 (1) All ER 763/1968 (2) QB 118:

"I have no hesitation, however, in holding that, like every constable in the land, he should be and is, independent of the executive. He is not subject to the orders of the Secretary of State... I hold it to be the duty of the Commissioner of Police, as it is of every chief constable, to enforce the law of the land. He must take steps so to post his men that crimes may be detected; and that honest citizens may go about their affairs in peace. He must decide whether or not suspected persons are to be prosecuted; and, if need be, bring the prosecution or see that it is brought; but in all these things he is not the servant of anyone, save of the law itself. No Minister of the Crown can tell him that he must, or must not, keep observation on this place or that; or that he must, or must not prosecute his man or that one. Nor can any police authority tell him so. The responsibility for law enforcement lies on him. He is answerable to the law and to the law alone."

Thereafter, the court observed:

"There can hardly be any doubt that the obligation of the police in our constitutional scheme is no less."

8. The fact that grave injury is caused to the cause of good governance where political influence is brought upon a public servant in the discharge of his public duty in respect of the case of an individual is manifest by the fact that not only the suspension order dated 3.3.2005 was not issued by Shri M.A. Khan even when he had considered it his duty to suspend Shri Agrawal because of the intervention of Shri Kaptan Singh Solanki, the General Secretary of the BJP in whatsoever innocent terms the request might have been couched, even the charge-sheet was not issued and departmental proceedings were not initiated by Shri Khan so long as he continued to be the Managing Director, Seeds Corporation, even though he continued to be on

that post for more than two months till the second week of May 2005, as stated by him in his statement. It was only after he demitted his office and his successor took charge as Managing Director, the disciplinary proceedings could be initiated.

9. There is no justification for any political leader to indicate his interest, whether personal or political to a Government Servant in respect of an individual matter, particularly a service matter, because indication of interest in an individual matter amounts, in practice, to exercise of pressure on the Government Servant. There is no merit in the plea that the political leader is closely connected with the people at large and when the people approach him, he has no choice but to fulfil their expectations. Political interest is also personal interest.

10. The legal position may be brought to the notice of Hon'ble the Chief Minister so that appropriate steps may be taken in the interest of good governance.

(R. Dayal)
Lokayukt M.P.
31.07.2007

लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश द्वारा श्री जुगुलकिशोर बागरी माननीय राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन एवं पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश एवं सतना के माननीय लोकसभा सदस्य श्री गणेश सिंह के विरुद्ध वर्ष 1998 में सतना जिले में शिक्षाकर्मियों के चयन में भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के प्रकरण में चालान माननीय विशेष न्यायालय, सतना में पेश

सतना जिले में वर्ष 1998 में शिक्षा कर्मी वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की भर्ती में हुये भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के संबंध में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय सेवा संभाग, द्वारा दिनांक 27.09.98 को अपराध क्रमांक 96/98, अंतर्गत धारा 13(1)डी, 13(2), 15 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 511 व 34 में निम्नलिखित 13 आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गयी—1.श्री जी.एम.खान, उप संचालक, शिक्षा, जिला पंचायत, सतना, 2. श्री रामलाल सिंह, सहायक संचालक, शिक्षा, 3. श्री आर.पी.शर्मा, निज सचिव अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला सतना, 4. श्री धीरेन्द्र सिंह धीरू तत्कालीन अध्यक्ष, जिला पंचायत सतना, 5. श्री गिरधारीलाल स्वर्णकार तत्कालीन सभापति, स्थायी शिक्षा समिति एवं चयन समिति तथा सदस्य, सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत सतना, 6. श्री जुगुलकिशोर बागरी माननीय विधायक (वर्तमान में राज्यमंत्री, म.प्र.शासन), एवं तत्कालीन सहयोजित सदस्य, शिक्षा स्थायी एवं चयन समिति, जिला पंचायत सतना 7.श्री रामविशाल पटेल तत्कालीन सदस्य, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति जिला पंचायत सतना, 8.श्री बिहारीलाल वर्मा तत्कालीन सदस्य, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति तथा सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत सतना, 9.श्री वीरेन्द्र सिंह तत्कालीन सदस्य, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति जिला पंचायत सतना, 10. श्रीमती सुशीला देवी मिश्रा तत्कालीन सदस्य, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति तथा सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत सतना, 11. श्रीमती ममता कुशवाह तत्कालीन सदस्य, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति जिला पंचायत सतना, 12.श्री नरेन्द्र पाल सिंह सांसद प्रतिनिधि, शिक्षा स्थायी समिति एवं चयन समिति तथा सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत सतना, 13. श्री गणेश सिंह तत्कालीन सभापति (वर्तमान में संसद सदस्य), सहकारिता समिति एवं उद्योग समिति एवं तत्कालीन सदस्य, सामान्य प्रशासन समिति जिला पंचायत सतना।

उपरोक्त प्रकरण की विवेचना में इन सभी आरोपियों ने भ्रष्टाचार एवं अपने पद का दुरुपयोग कर अपात्र उम्मीदवारों को शिक्षा कर्मी के रूप में चयनित कर अवैध रूप से लाभान्वित किया। वर्ष 1998 में जिला पंचायत, सतना में शिक्षा कर्मी वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के चयन में मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1997 एवं मध्यप्रदेश शासन के इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों, परिपत्रों एवं आदेशों का पालन नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया में अपात्र संस्थाओं के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को सही मानकर एवं कुछ अभ्यर्थियों से

निर्धारित दिनोंक के पश्चात् आवेदन प्राप्त कर बिना योग्यता के 20 अभ्यर्थियों का अवैध रूप से चयन किया गया।

100 बिन्दु के रोस्टर संबंधी शासनादेशों का भी पालन नहीं किया गया एवं आरक्षण अधिनियम 1994 के विपरीत 4 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें महिला पद के विरुद्ध पुरुष उम्मीदवारों, पुरुष पदों के विरुद्ध महिला उम्मीदवारों एवं विकलांग पदों के विरुद्ध सामान्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। जिला पंचायत, सतना में इन शिक्षा कर्मियों की भर्ती के समय चयन समिति के सदस्यगण व शिक्षा स्थायी समिति के सदस्यों ने अपने सगे रिश्तेदारों/नातेदारों का चयन उन्हें अवैध लाभ पहुँचाने के आशय से किया। विवेचना पर यह भी पाया गया कि श्री जुगुलकिशोर बागरी तत्समय सतना जिले के रैगॉव विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक थे और मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार माननीय विधायक की हैसियत से जिला पंचायत, सतना में शिक्षा स्थायी समिति में सहयोजित सदस्य थे। उन्होंने अपनी पुत्री का शिक्षा कर्मी वर्ग-1 के पद पर चयन किया एवं अन्य आरोपीगण द्वारा इस अवैध चयन में सहयोग किया जाना प्रमाणित पाया गया। इसी प्रकार चयन प्रक्रिया के समय अनेक अपात्र उम्मीदवारों को अवैध लाभ पहुँचाने अर्थात् चयन किये जाने के उद्देश्य से चयन से संबंधित रिकार्ड तथा रजिस्ट्रों में काँट-छाँट की गई एवं कूट रचित प्रविष्टियाँ की गयी, जिससे अपात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाना एवं पात्र अभ्यर्थियों को चयन से वंचित किया जाना प्रमाणित पाया गया।

विवेचना पर यह तथ्य भी प्रमाणित पाया गया कि वर्ष 1998 में सतना जिले में शिक्षा कर्मी वर्ग-1 के 128 पदों के लिए नियमानुसार एक पद के विरुद्ध तीन अभ्यर्थियों के आधार पर 384 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना था, किन्तु इससे अधिक अर्थात् 401 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। इसी प्रकार शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के 215 पदों के लिये 645 के स्थान पर 646 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। शिक्षाकर्मी वर्ग-1 में 14 अपात्र उम्मीदवारों को तथा शिक्षाकर्मी वर्ग-2 में 10 अपात्र उम्मीदवारों को अवैध रूप से पद का दुरुपयोग करते हुये चयनित किया। इस प्रकार कुल 24 अपात्र अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाना प्रमाणित पाया गया। विवेचना पर ये वही अभ्यर्थी होना पाये गये जिन्हें नियमानुसार साक्षात्कार में बुलाये जाने की अथवा मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवार के रूप में सम्मिलित किये जाने की पात्रता नहीं थी। विवेचना में यह भी प्रमाणित हुआ कि चयन में आरक्षण नियमों के विपरीत आरक्षित वर्गों व प्रवर्गों में जानबूझकर बदलाव कर तीन ऐसे अभ्यर्थियों का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित पदों पर चयन कर लिया जो रीवा संभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते। संक्षेप में उपरोक्त सभी 13 आरोपियों द्वारा सतना जिले में वर्ष 1998 में शिक्षा कर्मी वर्ग-1 एवं वर्ग-2 के पदों पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से अपात्र अभ्यर्थियों को उन्हें अवैध लाभ पहुँचाने की नियत से चयन किया जाना प्रमाणित पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त 13 आरोपीगणों को अभियोजित करने का निर्णय दिनांक 29.3.2000 को लिया गया।

पॉच लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति सक्षम प्राधिकारियों से दिनांक 05.05.2000 के पत्रों से चाही गयी। तीन आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने से तथा आठ अन्य आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से 11 आरोपियों के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, रीवा संभाग, द्वारा माननीय विशेष न्यायालय सतना में दिनांक 28.12.04 को चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के शेष दो आरोपियों—(1) श्री जुगुलकिशोर बागरी तत्कालीन माननीय विधायक, रैगॉव जिला सतना, एवं तत्कालीन सहयोजित सदस्य शिक्षा स्थायी एवं चयन समिति, जिला पंचायत सतना वर्तमान में माननीय राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन एवं पशुपालन विभाग एवं (2) श्री गणेश सिंह तत्कालीन सभापति, सहकारिता समिति एवं उधोग समिति एवं सदस्य सामान्य प्रशासन समिति, जिला पंचायत सतना, वर्तमान में माननीय संसद सदस्य लोक सभा क्षेत्र, सतना (म.प्र.) जिन्हें अभियोजित किये जाने के लिये स्वीकृति नहीं मिलने के कारण प्रकरण न्यायालय में पेश किया जाना लम्बित था, के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय, सतना में चालान दिनांक 18.01.2007 को उपरोक्त उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत पेश किया गया है।

.....

Special Police Establishment of Lokayukt Organisation, Rewa filed a Challan in the Special Court, Satna against Shri Jugul Kishore Bagri, Hon'ble Minister of State, Water Resources and Animal Husbandry Department and Shri Ganesh Singh, Hon'ble Member of Parliament, for their involvement in adopting corrupt practices in recruitment of Shiksha Karmis in Satna in the year 1998.

The Special Police Establishment, Lokayukt Organisation, Rewa Division had registered a Case on 27.09.1998 as Crime No. 96/98 u/s 13 (1) (d), 13 (2), 15 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and under Sections 420, 467, 468, 471, 120B, 511 and 34 of the IPC regarding corruption and abuse of official position in the recruitment of Shiksha Karmi Class-I and II in district Satna in the year 1998 against the following public servants: -

1. Shri G. M. Khan, Deputy Director, Education, Zila Panchayat, Satna.
2. Shri Ramlal Singh, Assistant Director, Education, Zila Panchayat, Satna.
3. Shri R. P. Sharma, P.A. to Chairman, Zila Panchayat, District, Satna.
4. Shri Dheerendra Singh Dhiru, the then Chairman, Zila Panchayat, Satna.
5. Shri Girdharilal Swarnakar, the then Chairman, Education Standing Committee and Member of General Administration, Zila Panchayat Satna.
6. Shri Jugul Kishore, Bagri, the then Hon'ble M.L.A. and Member of Selection Committee and Member of Education Standing Committee, at present Hon'ble

Minister of State, Water Resources and Animal Husbandry Department.

7. Shri Ram Vishal Patel, the then Member of Selection Committee and Member of Education Standing Committee, Zila Panchayat, Satna.
8. Shri Biharilal Verma, the then Member of Selection Committee and Member of Education Standing Committee, and General Administration Zila Panchayat, Satna.
9. Shri Virendra Singh, the then Member of Selection Committee and the Member of Education Standing Committee, Zila Panchayat, Satna.
10. Smt. Sushila Devi Mishra, the then Member of Selection Committee and Member of Education Standing Committee, and General Administration Zila Panchayat, Satna.
11. Smt. Mamta Kushwah, the then Member of Selection Committee and Member of Education Standing Committee, Zila Panchayat, Satna.
12. Shri Narendrapal Singh, the Representative of Member of Parliament and the then Member Selection Committee and Member of Education Standing Committee, and General Administration Zila Panchayat, Satna.
13. Shri Ganesh Singh, the then Chairman Co-operative and Udyog Committee and Member of General Administration Committee, Zila Panchayat, Satna at present Hon'ble Member of Parliament.

On investigation, it was found that all the accused persons obtained pecuniary advantages by making selection of ineligible candidates as Siksha Karmi Class I and II for Zila Panchayat, Satna in the year 1998 by abusing their official position. In the selection they had not followed the relevant provisions of M.P. Panchayat Shiksha Karmi (Bharti Tatha Seva Sharte) Niyam, 1997 and the

instructions, Circulars and Orders issued by the government from time to time. 20 candidates were selected illegally by treating the experience certificates issued by the ineligible institutions as valid and by accepting some applications after the expiry of the due date.

Four ineligible candidates were selected illegally by violating the government instructions regarding 100-point roster of reservation and the provisions of M.P. Lok Seva Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Evam Pichara Varg Ke Liye Aarakshan Adhiniyam, 1994. Male candidates were selected against the reserved posts of female candidates and candidates of general category were selected against the posts reserved for handicapped candidates. Relatives of the members of the selection committee were selected illegally. During investigation, it was found that Shri Jugul Kishore Bagri, selected his daughter as Shiksha Karmi-I against the provisions of M.P. Panchayati Raj Adhiniyam, 1993 with the help of the co-accused. The records in the register relating to recruitment were tampered and entries were altered in order to select some ineligible candidates and to deprive some eligible candidates for selection.

During investigation, it was also found that for one post three candidates were to be called for interview. Therefore, for the selection of 128 posts of Siksha Karmi Class-I, 384 candidates could be called, but instead 401 candidates were called. Similarly, for 215 posts of Siksha Karmi Class-II, 645 candidates could be called, but instead 646 candidates were called. 14 ineligible candidates were selected for the Siksha Karmi Class-I and 10 for Siksha Karmi

Class-II by the accused persons by illegal and corrupt manner by abusing his position. 24 ineligible candidates were included in the selection list and all these 24 candidates were the same who were not eligible to be called for interview. 03 general candidates were selected against the posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. It was found that in this manner all the 13 accused persons, by using corrupt and illegal means and abusing their position, selected ineligible candidates for the posts of Shiksha Karmi Class-I and II. After the completion of investigation, decision was finally taken on 29.03.2000 to proceed for prosecution against all the 13 accused persons.

Sanction was sought under Section 19 of the Prevention of Corruption Act from the Competent Authority concerned against 5 public servants vide letters dated 5.5.2000. After receiving sanction against the 3 public servants, charge sheet was filed against them and 8 others against whom sanction was not needed, in the Court of the Special Judge, Satna, on 28.12.2004. Charge sheet could not be filed against the remaining two accused, namely, 1 Shri Jugul Kishore Bagri, the then Hon'ble M.L.A. Raigoan, district, Satna and the then Member Shiksha Samiti and Selection Samiti, Zila Panchayat, Satna, 2. Shri Ganesh Singh, the then Sabhapati Sehkari Samiti and Udyog Samiti and Member, Samanya Prashasan Samiti, Zila Panchayat, Satna for want of prosecution sanction. Now the charge sheet has been filed against them in the Court of the Special Judge, Satna on 18.01.2007 under the above-mentioned sections.

लोकायुक्त संगठन द्वारा श्री ओमप्रकाश धुर्वे माननीय पूर्व मंत्री खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति (अध्यक्ष खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति निगम) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के अपराध में माननीय न्यायालय में चालान पेश

श्री मोहम्मद शफीक ने एक लिखित शिकायत, शपथ-पत्र के साथ माननीय लोक आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश भोपाल को इस आशय की प्रस्तुत की कि, मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में वर्ष 2004-2005 के लिये इटारसी, बनापुरा, पिपरिया के रेल रैक पाईन्टों से सीधे संग्रहण वितरण केन्द्र तक परिवहन कार्य तथा इसके विपरीत केन्द्रों से रैक लोड करने तक के परिवहन कार्य के लिये उसकी (मोहम्मद शफीक एण्ड कम्पनी) दरें सबसे कम थी, किन्तु उससे परिवहन का कार्य न करवाकर अन्य ठेकेदार श्री मुकेश गोयल से अधिक दर पर कार्य करवाया। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के लोक सेवकों ने ठेकेदार श्री मुकेश गोयल के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध लाभ अर्जित किया एवं शासन को क्षति कारित की।

उपरोक्त शिकायत लोकायुक्त संगठन में दिनांक 20.05.2004 को प्राप्त हुई। शिकायत की जाँच लोकायुक्त संगठन के द्वारा की गयी। जाँच के दौरान श्री ओमप्रकाश धुर्वे तत्कालीन मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अध्यक्ष खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को जिम्मेदार पाये जाने पर, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री धुर्वे ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया। श्री धुर्वे को माननीय लोकायुक्त महोदय के द्वारा समक्ष में सुनने के उपरान्त तथा उनके उत्तर का अध्ययन करने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त महोदय ने आदेश दिनांक 03.05.2006 से यह पाया कि श्री धुर्वे ने श्री मुकेश गोयल को अवैध लाभ पहुंचाने के लिये न्यूनतम परिवहन की दरों का अनुमोदन नहीं किया व मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम को 8,02,495/-रूपये की क्षति पहुंचायी। माननीय लोकायुक्त महोदय ने यह निर्देश दिया कि श्री धुर्वे के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना अपराध पंजीबद्ध करें। माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 3.5.2006 के महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है:-

"24. From the above discussion it is proved, prima facie, that Shri Dhurve by unnecessarily delaying the decision (i) by withholding the files with himself for long periods (ii) by calling back the files even after approving the rates of the lowest tenderer, (iii) by adopting the strategy "to discuss" and (iv) also by inventing a justification for the delay which did not really exist that enquiry into the work and conduct of Mohd. Shafiq and Company was necessary before taking the final decision, with the ulterior purpose of giving undue pecuniary advantage to Shri Mukesh Goyal and causing corresponding loss to the Corporation to the

tune of Rs.8,02,495/-, abused his position as a public servant, which is punishable under the Prevention of Corruption Act. He also violated the fundamental right of equality of Mohd. Shafiq. This is a fit case for investigation by the M.P. Special Police Establishment after registering a crime case against Shri Om Prakash Dhurve, who was Minister of Food and Civil Supplies in the State of Madhya Pradesh and also Chairman of the M.P. State Civil Supplies Corporation Limited at the relevant time and so, I direct the Director General, Madhya Pradesh Special Police Establishment to do so. I further direct that investigation be done in the case according to law by an officer not below the rank of Superintendent of Police. The entire record be transferred to the Special Police Establishment.

(R. Dayal)
Lokayukt
03.05.2006"

माननीय लोकायुक्त महोदय का पूरा आदेश लोकायुक्त संगठन की वेब साईट mplokayukt.nic.in के "माननीय लोकायुक्त महोदय के महत्वपूर्ण निर्णयों" के शीर्षक पर उपलब्ध है।

माननीय लोकायुक्त के आदेश दिनांक 03.05.2006 के परिप्रेक्ष्य में श्री ओमप्रकाश धुर्वे एवं श्री मुकेश गोयल के विरुद्ध दिनांक 4 मई 2006 को अपराध क्रमांक 17/2006 धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना में यह पाया गया कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा वर्ष 2004-2005 हेतु खाद्यान्न परिवहन (एच.एल.आर.टी.) के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी थी। होशंगाबाद जिले के पिपरिया, इटारसी, बनापुरा रैक प्वाइन्ट के परिवहन (एच.एल.आर.टी.) हेतु मेसर्स मोहम्मद शफीक एण्ड कम्पनी की निविदा दरें न्यूनतम थी। जिला स्तरीय समिति के द्वारा मेसर्स मोहम्मद शफीक एण्ड कम्पनी की परिवहन की दरें न्यूनतम होने से अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजी गयी थी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने दिनांक 24.11.2003 को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय भेजा। मुख्यालय स्तरीय समिति ने परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव दिनांक 11.12.2003 को अनुमोदित किया तथा महाप्रबंधक (परिवहन) ने प्रस्ताव, दिनांक 18.12.2003 को प्रबंध संचालक को भेजा। प्रबंध संचालक ने दिनांक 20.12.2003 को अनुशंसा करते हुये नस्तियां, श्री धुर्वे (दरें अनुमोदित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत की। श्री धुर्वे ने बनापुरा तथा इटारसी रैक प्वाइन्ट की दरें अनुमोदित की परन्तु पिपरिया रैक प्वाइन्ट की दरें अनुमोदित नहीं की, तीनों नस्तियां

कार्पोरेशन के मुख्यालय को दिनांक 05.03.2004 को वापस कर दी। श्री धुर्वे ने न्यूनतम दर की निविदा के अनुमोदन की नस्ती को 76 दिन (दिनांक 20.12.2003 से 05.03.2004) तक रोककर रखा।

आगामी कार्यवाही प्रारंभ हो सके उसके पूर्व ही श्री धुर्वे ने तीनों नस्तियों को दिनांक 12.03.2004 को वापस बुलवा लिया। श्री धुर्वे ने परिवहनकर्ताओं की परफारमेंन्स रिपोर्ट बुलवाने हेतु कहा। श्री धुर्वे के समक्ष रिपोर्ट उसी दिन प्रस्तुत की गयी **इस रिपोर्ट में परिवहनकर्ता मोहम्मद शफीक एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कुछ नहीं था**। श्री धुर्वे ने नस्तियां पर “चर्चा करें” लिखकर वापस कर दी। प्रबंध संचालक ने श्री धुर्वे के साथ दिनांक 23.03.2004 को चर्चा की। चर्चा में कलेक्टर होशंगाबाद से रिपोर्ट बुलवाने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सहायक प्रबंधक (परिवहन) ने दिनांक 12.04.2004 को यह टिप्पणी अंकित की कि कलेक्टर होशंगाबाद ने यह बताया है कि न्यूनतम दर के निविदादाता मेसर्स शफीक एण्ड कम्पनी ने पूर्व में जिले में कोई कार्य नहीं किया है। दिनांक 17.04.2004 को प्रबंध संचालक द्वारा यह लिखा गया कि गेहूं उपार्जन का कार्य तेजी पर है, 2004-2005 की दरों को स्वीकृत किया जाना निगम के हित में होगा। ये दरें स्वीकृत न होने के कारण वर्ष 2003-2004 (पिछले वर्ष) की दरों पर कार्य करवाया जा रहा है, जो ज्यादा है, जिससे निगम को हानि हो रही है। निगम के हितों में आवश्यक है कि नई परिवहन दरें जो कम हैं उन्हें स्वीकृत किया जाये। **नस्तियां दिनांक 20.04.2004 को श्री धुर्वे के कार्यालय में प्राप्त हुईं**, इसके बावजूद भी श्री धुर्वे ने नस्तियों पर **दरों का** अनुमोदन नहीं किया तथा जब तक वे कार्पोरेशन के अध्यक्ष रहे तब तक उन्होंने नस्तियों को लंबित रखा। **नस्तियां बिना अनुमोदन के दिनांक 01.06.2004 को वापस प्राप्त हुईं**। इस बार श्री धुर्वे के द्वारा नस्तियां अनावश्यक रूप से 42 दिन तक रोककर रखी (दिनांक 20.04.2004 से 01.06.2004 तक)। इस प्रकार से कुल 118 दिन (76 दिन + 42 दिन) तक अनावश्यक रूप से विलंब कर गेहूं उपार्जन के सत्र में पिछले वर्ष की पुरानी मंहगी दर पर खाद्यान्न परिवहन होने दिया। श्री धुर्वे द्वारा पद का दुरुपयोग कर, श्री मुकेश गोयल को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया गया और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 8,02,495/-रूपये की क्षति पहुंचायी गयी।

प्रकरण में अभियोजन योग्य साक्ष्य पाये जाने से श्री धुर्वे तथा श्री मुकेश गोयल के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल संभाग द्वारा दिनांक 10.1.2007 को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं धारा 120बी भा.द.वि. के अंतर्गत चालान पेश किया गया।

Shri Om Prakash Dhurve, the then Hon'ble Minister, Food & Civil Supplies and Chairman, M.P. State Civil Supplies Charge Sheeted in Corruption case.

A complaint was made by Shri Mohammad Shafiq (Proprietor of Mohd. Shafiq and Company) along with an affidavit to the Hon'ble Lokayukta, M.P., which was received by the Organisation on 20.05.2004. It was alleged in the complaint that the M.P. State Civil Supplies Corporation Limited, invited tenders for transport of food articles for year 2004-05 for several districts of Madhya Pradesh. The articles were to be transported from rack points to distribution centers, or vice versa. He was one of the tenderers for three rack points, namely, Pipariya, Itarsi and Banapura of district Hoshangabad and the rates quoted by him were the lowest. Mr. Om Prakash Dhurve and other officers of M.P. State Civil Supplies Corporation Limited had misused their official position and did not permit him to work even though his rates were the lowest and thereby caused a huge loss to the Corporation.

An enquiry was conducted on the direction of the Hon'ble Lokayukt. During enquiry Shri Om Prakash Dhurve, the then Minister of Food and Civil Supplies and Chairman of M.P.State Civil Supplies Corporation Limited was found guilty. Hence, show cause notice was issued to him. Shri Durve replied to this show cause notice and he appeared before the Hon'ble Lokayukta in person. After considering his reply and arguments, the Hon'ble Lokayukta passed an order on 03.05.2006. It was found that Shri Dhurve with the ulterior motive of giving undue pecuniary advantage to Shri Mukesh Goyal and causing corresponding loss to the Corporation to the tune of Rs. 8,02,495/-, abused his position as a public servant which is punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988. Hon'ble Lokayukta ordered that this was a fit case for registering a crime case against Shri Dhurve, and

directed the Director General, Madhya Pradesh Special Police Establishment to do so. Important portion of Hon'ble Lokayukta's order reads as under: -

"24. From the above discussion it is proved, prima facie, that Shri Dhurve by unnecessarily delaying the decision (i) by withholding the files with himself for long periods (ii) by calling back the files even after approving the rates of the lowest tenderer, (iii) by adopting the strategy "to discuss" and (iv) also by inventing a justification for the delay which did not really exist that enquiry into the work and conduct of Mohd. Shafiq and Company was necessary before taking the final decision, with the ulterior purpose of giving undue pecuniary advantage to Shri Mukesh Goyal and causing corresponding loss to the Corporation to the tune of Rs. 8,02,495/-, abused his position as a public servant, which is punishable under the Prevention of Corruption Act. He also violated the fundamental right of equality of Mohd. Shafiq. This is a fit case for investigation by the M.P. Special Police Establishment after registering a criminal case against Shri Om Prakash Dhurve, who was Minister of Food and Civil Supplies in the State of Madhya Pradesh and also Chairman of the M.P. State Civil Supplies Corporation Limited at the relevant time and so, I direct the Director General, Madhya Pradesh Special Police Establishment to do so. I further direct that investigation be done in the case according to law by an officer not below the rank of Superintendent of Police. The entire record be transferred to the Special Police Establishment.

(R. Dayal)

Lokayukt

03.05.2006"

Detailed order of Hon'ble Lokayukta is available on Lokayukta organisation's website (www.mplokayukt.nic.in) under the heading "Important decisions of Lokayukt".

Accordingly, a case was registered against Shri Om Prakash Dhurve and shri Mukesh Goyal under section 13(1)d, 13 (2) Prevention Act 1988 and under section 120B of IPC on 04.05.2006.

During investigation, it was found that the MP State Civil Supplies Corporation Limited invited tenders for the year 2004-2005 for transporting food articles from rack points to distribution Centers or vice versa. Mohd. Shafiq, (the proprietor of Mohd. Shafiq and Company) was one of the tenderers for three points, namely, Pipariya, Itarsi and Banapura of district Hoshangabad and the rates quoted by him were the

lowest. The District Level Committee approved the rates quoted by him and forwarded the papers for formal approval to the Headquarters through the Regional Manager. The Regional Manager accorded his approval and sent the papers to the Headquarters on 24.11.2003. The Headquarter Level Committee approved the proposals on 11.12.2003 and the then General Manager (Transport) sent the proposals for approval to the Managing Director on 18.12.2003. After approval, the Managing Director sent the proposals on 20.12.2003 for approval to Shri Dhurve, who was the competent authority to approve the rates. Shri Dhurve approved the rates for Banapura & Itarsi points but did not approve the rates relating to Pipariya point. All the three files were received back by the Headquarters on 5.3.2004. Shri Dhurve kept these files with him unnecessarily for 76 days (from 20.12.2003 to 05.03.2004).

Before the next process could start, again Shri Dhurve called back all the three files in 12.03.2004. Shri Dhurve called for the performance report of the transporters. The report was put up before the Chairman on that very day. There was nothing against the transporter Mohd. Shafiq and Company in that report. Shri Dhurve sent back the files by making a note "चर्चा करें" (discuss). On 23.3.04 the Managing Director discussed the matter with Shri Dhurve. In the discussion, decision was taken that report be called from the Collector Hoshangabad. After receiving the report, Assistant Manager (Transport) made a note on 12.4.04 to the effect that the Collector Hoshangabad had reported that the lowest tenderer M/s Mohd. Shafiq and Company had not done any work previously in the district. On 17.4.2004, Managing Director also made it clear that the work of procurement of wheat was in full swing and if the approved rates for 2004-05 were not implemented, work would have to be done at the rates of the previous year and in that situation there was likelihood of the Corporation incurring loss. Files were received at the

office of Shri Dhurve for approval of rates on 20.4.2004. But again, Shri Dhurve did not approve the lowest rates and kept all cases pending till he was the Chairman of the Corporation. All the files were received back on 01.06.2004 without approval of rates. Thus, this time he kept the files pending with him for 42 days. Thus Shri Dhurve kept the files pending with him for a total period of 118 days (76days+42days) on various pretexts. In this manner, Shri Dhurve misused his position to give undue benefit to Shri Mukesh Goyal causing loss of Rs. 8,02495/- to the Corporation.

After investigation, charge sheet was filed against Shri O.P.Dhurve and Shri Mukesh Goyal u/s 13(1)d/13(2) P.C.Act on 10.01.2007 in Court of the Special Judge Bhopal.

PUNISHMENT UNDER SECTION
193 I.P.C.

अपराध क्र. 12/03 अंतर्गत धारा 7, 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 विरुद्ध श्री रतिराम कुर्मी सरपंच, ग्राम पंचायत गिरवर, तहसील सागर जिला
सागर

फरियादी श्री मुन्नालाल पटेल निवासी गिरवर उसके खेत में लगे बबूल के पेड़ों को काटकर लकड़ी चिराना एवं विक्रय करना चाहता था। इसके लिये उसने अभियुक्त श्री रतिराम कुर्मी सरपंच से प्रमाण पत्र चाहा तो अभियुक्त ने 5000/- रु. रिश्वत की माँग की। इस पर फरियादी ने श्री रतिराम कुर्मी सरपंच, ग्राम पंचायत गिरवर द्वारा रिश्वत माँगने की शिकायत पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त संभाग सागर को 20.01.03 को प्रस्तुत की। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी सरपंच के विरुद्ध धारा-7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विधिवत ट्रैप आयोजित कर दिनांक 22.01.03 को श्री रतिराम कुर्मी सरपंच को 5000/- रु. रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में विवेचना उपरांत 15.01.04 को आरोपी श्री रतिराम कुर्मी सरपंच के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय सागर में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सरपंच को रिश्वत माँगने एवं प्राप्त करने का दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 एवं 13(1)डी), 13(2) में क्रमशः 6 माह एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रु. अर्थदंड से दिनांक 27.09.06 को दंडित किया।

माननीय विशेष न्यायालय, सागर में प्रकरण की सुनवाई के दौरान फरियादी श्री मुन्नालाल पटेल इस बात से मुकर गया कि उसने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी। फरियादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही देने पर उसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय विशेष न्यायालय सागर द्वारा फरियादी के विरुद्ध विविध दांडिक प्रकरण 38/06 दर्ज किया गया। फरियादी द्वारा झूठी गवाही के इस प्रकरण के निराकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.06 को भारतीय दंड विधान की धारा-193 के अंतर्गत फरियादी श्री मुन्नालाल पटेल को तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

अपराध क्र. 212/03 अंतर्गत धारा 7, 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 विरुद्ध श्री बलदेव प्रसाद दक्ष सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी, वन चौकी पडरई
जिला सागर

फरियादी श्री शंकर गौड निवासी सेमरा गोपालमन ने दिनांक 24.09.02 को पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संभाग सागर को शिकायत की कि आरोपी श्री बलदेव प्रसाद दक्ष सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी पडरई ने उसकी माँ के नाम से लकड़ी की जप्ती बना ली है और इस प्रकरण को निपटाने के लिये आरोपी 1000/- रु. की रिश्वत माँग रहा है। शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी के विरुद्ध धारा-7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विधिवत ट्रैप आयोजित कर दिनांक 26.09.02 को श्री बलदेव प्रसाद दक्ष को 500/- रु. रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में विवेचना उपरांत 29.09.03 को आरोपी श्री बलदेव प्रसाद दक्ष के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय सागर में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को रिश्वत माँगने एवं प्राप्त करने का दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 एवं 13(1)डी), 13(2) में क्रमशः 6 माह एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक एवं दो हजार रु. अर्थदंड से दिनांक 29.11.06 को दंडित किया।

माननीय विशेष न्यायालय, सागर में प्रकरण की सुनवाई के दौरान फरियादी श्री शंकर गौड ने लोकायुक्त पुलिस में की गई शिकायत एवं ट्रैप की कार्यवाही से इंकार किया। इस पर फरियादी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय विशेष न्यायालय सागर द्वारा फरियादी के विरुद्ध विविध दांडिक प्रकरण 41/06 दर्ज किया गया। फरियादी द्वारा झूठी गवाही के इस प्रकरण के निराकरण में माननीय न्यायालय द्वारा 18.12.06 को भारतीय दंड विधान की धारा-193 के अंतर्गत फरियादी श्री शंकर गौड को तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

अपराध क्र. 28/04 अंतर्गत धारा 7, 13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
1988 विरुद्ध श्री डी.एस.चौधरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी
सहकारी विकास समिति मर्यादित सागर, जिला सागर

फरियादी श्री भागवल चढ़ार की पत्नि के नाम माइक्रो क्रेडिट योजना में किराना दुकान हेतु ऋण स्वीकृत हुआ था। इस ऋण राशि का चैक देने के लिए आरोपी श्री डी.एस.चौधरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सागर ने फरियादी से 3000/- रु. रिश्वत की माँग की। इस संबंध में फरियादी ने 12.02.04 को पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संभाग सागर को शिकायत प्रस्तुत की। इस शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी

श्री डी.एस.चौधरी के विरुद्ध धारा-7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विधिवत ट्रैप आयोजित किया जाकर दिनांक 16.02.04 को श्री डी.एस.चौधरी 1500/- रु. रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में विवेचना उपरांत 31.03.05 को आरोपी श्री डी.एस.चौधरी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय सागर में चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री डी.एस.चौधरी को रिश्वत माँगने एवं प्राप्त करने का दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 एवं 13(1)डी), 13(2) में क्रमशः 6 माह एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक एवं दो हजार रु. अर्थदंड से दिनांक 28.10.06 को दंडित किया।

माननीय विशेष न्यायालय, सागर में प्रकरण की सुनवाई के दौरान फरियादी श्री भागवल चढ़ार ने लोकायुक्त पुलिस में की गई शिकायत एवं ट्रैप की कार्यवाही से इंकार किया। फरियादी ने अभियुक्त को बचाने के लिए न्यायालय में असत्य कथन दिया। इस पर फरियादी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय विशेष न्यायालय सागर द्वारा फरियादी के विरुद्ध झूठा कथन देने के कारण विविध दांडिक प्रकरण 40/06 दर्ज किया। फरियादी द्वारा झूठी गवाही के इस प्रकरण के निराकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.06 को भारतीय दंड विधान की धारा-193 के अंतर्गत फरियादी श्री भागवल चढ़ार को तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

Crime No. 42/02
Special Case No. 6/05

IMPRISONMENT TO SHRI RAMESH THETE, IAS FOR TAKING BRIBE

Shri Ramesh Thete, a senior IAS officer, demanded bribe of Rs. 1 Lakh from the complainant, Shri N.R. Borle, In Charge Principal, I.T.I., Betul by threatening to suspend him. After recording conversation of demand on tape recorder, a criminal case was registered against him under the Prevention of Corruption Act, 1988. A trap was arranged. He was caught red-handed while accepting bribe of Rs. 1 Lakh. After obtaining sanction from the Union Government, charge sheet was filed against him u/s 7 and 13(2) read with section 13(1) (d) of the P.C. Act. After trial, the Special Court held him guilty of both the charges vide judgment dated 13.4.2007 and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for two years respectively for each of the charges. Apart from this a total fine of Rs. 10,000/- was also imposed upon him.

श्री अचल सोनकर, सदस्य, मध्य प्रदेश विधानसभा, ने दिनांक 21/9/2000 को श्री रमेश थेटे, भारतीय प्रशासनिक सेवा, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुये शिकायत की, जिसे लोक आयुक्त संगठन में एल.ए. 69/2000 पर दर्ज किया गया। तत्कालीन माननीय लोक आयुक्त महोदय ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किये जाने के आरोप की विस्तृत जांच हेतु प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना को सौंपा। विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त संगठन, में श्री थेटे के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित किये जाने के आधार होने से अपराध, क्रमांक 68/2002 अंतर्गत धारा 13(1)ई, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, दिनांक 19.03.2002 को पंजीबद्ध किया गया।

अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण में चालान

विवेचना में यह पाया गया कि श्री थेटे ने लगभग 42 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। श्री थेटे के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा 13(1)ई, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य होने से तथा प्रकाश सिंह बादल विरुद्ध पंजाब राज्य के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2006 के परिप्रेक्ष्य में श्री थेटे, तत्कालीन संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर, के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से, चालान माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दिनांक 03.07.2007 को प्रस्तुत किया गया, जो एम.जे. सी.नं. 12/2007 पर दर्ज होकर विचारण में है।

पद के दुरुपयोग के प्रकरण में चालान

अपराध क्रमांक 68/2002 की विवेचना में यह पाया गया कि श्री थेटे द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से चेक खरीदी के माध्यम से धोखाधड़ी कर 33 लाख रुपये अवैध रूप से प्राप्त किये गये। चेक खरीदी के 9 प्रकरणों में श्री थेटे एवं अन्य के विरुद्ध तीन चालान प्रस्तुत किये गये।

श्री थेटे एवं उनकी पत्नी श्रीमती मंदा थेटे ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से धोखाधड़ी कर लगभग 25 लाख रुपये का ऋण (केश क्रेडिट लिमिट) लिया तथा ऋण वापस नहीं किया। जिसके संबंध में एक चालान प्रस्तुत किया गया।

श्री थेटे द्वारा जून 2001 से दिसंबर 2001 अर्थात् केवल 6 माह की अवधि में जबलपुर एवं भोपाल स्थित 10 बैंकों से 14,30,000/- रुपये का पर्सनल लोन गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया। श्री थेटे ने ऋणों वापस नहीं किया, जिसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में चार चालान प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार से पद के दुरुपयोग के 8 प्रकरणों में चालान किया गया। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

(अ) चेक खरीदी (चेक परचेस) के माध्यम से धोखाधड़ी

एम0जे0सी0 क्रमांक 18 / 2007

1— श्री थेटे ने दिनांक 16.08.2001 को शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सिविल लाईन, जबलपुर के समक्ष 6 लाख रुपये का समता सहकारी बैंक लिमिटेड ओसीवारा, मुम्बई का चेक क्रमांक 020665 खरीदी हेतु प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि संग्रहण के पूर्व ही 4 लाख रुपये उसे दे दिये जाये। शाखा प्रबंधक ने श्री थेटे को 4 लाख रुपये उसी दिन दे दिये। श्री रमेश थेटे द्वारा प्रस्तुत चेक उनकी पत्नी श्रीमती मंदा थेटे के स्वामित्व की मेसर्स लिरिकल ऑडियो कम्प्यूनिकेश कंपनी के चालू खाते का था।

श्रीमती मंदा थेटे ने बैंक ऑफ इण्डिया की जबलपुर शाखा के शाखा प्रबंधक को 5 लाख रुपये का भारतीय स्टेट बैंक, वासिम (महाराष्ट्र) का चेक प्रस्तुत करते हुये, आउट स्टेशन चेक के विरुद्ध 4 लाख रुपये चाहे। शाखा प्रबंधक ने 4 लाख रुपये उसी दिन प्रदान कर दिये।

श्री थेटे ने दिनांक 05.10.2001 को शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा छावनी, जबलपुर के समक्ष श्रीमती थेटे द्वारा जारी समता सहकारी बैंक, मुम्बई का 2 लाख रुपये चेक प्रस्तुत करते हुये चेक खरीदी हेतु अनुरोध किया। जिस पर बैंक ने 2 लाख रुपये श्री थेटे को दे दिये।

उपरोक्त तीनों ही चेक संबंधित बैंकों को समाशोधन हेतु भेजे जाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से अनादरित (बाउंस) हुए। श्री रमेश थेटे व श्रीमती मंदा थेटे ने चेक खरीदी द्वारा प्राप्त राशि बैंकों को वापस भी नहीं लौटाई।

इस प्रकार से श्री थेटे एवं श्रीमती थेटे द्वारा षडयंत्रपूर्वक, जानबूझकर चेक खरीदी के नाम से उपरोक्त 3 मामलों में 10 लाख रुपये की राशि बैंक को धोखा देकर प्राप्त की गयी। धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड विधान का अपराध पाये जाने से चालान माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दिनांक 13.07.2007 को प्रस्तुत किया गया, जो एम.जे.सी.नं. 18 / 2007 पर दर्ज है।

एम0जे0सी0 क्रमांक 19 / 2007

2— दिनांक 08.10.2001 को श्री थेटे ने शाखा प्रबंधक, देना बैंक, जबलपुर के समक्ष श्रीमती थेटे के भारतीय स्टेट बैंक वाशिम (महाराष्ट्र) के खाते से जारी रूपये 5 लाख का चेक प्रस्तुत कर चेक खरीदी का अनुरोध किया। बैंक द्वारा 5 लाख रूपये श्री थेटे को प्रदान किये गये।

दिनांक 27.09.2001 को श्री थेटे ने भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाईन शाखा जबलपुर के समक्ष श्रीमती थेटे के समता सहकारी बैंक, ओशीबारा, मुम्बई के खाते से जारी 4 लाख रूपये का चेक प्रस्तुत कर चेक खरीदी का अनुरोध किया। बैंक द्वारा श्री थेटे को 4 लाख रूपये प्रदान किये गये।

दिनांक 28.09.2001 को श्री थेटे ने शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मढ़ाताल, जबलपुर के समक्ष श्रीमती थेटे के समता सहकारी बैंक, ओशीवारा, मुम्बई के खाते का 4 लाख रूपये का चेक प्रस्तुत कर चेक खरीदी करने का अनुरोध किया। बैंक द्वारा श्री थेटे को 4 लाख रूपये प्रदान किये गये।

उपरोक्त तीनों ही चेक संबंधित बैंकों को समाशोधन हेतु भेजे जाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से अनादरित (बाउंस) हुए। श्री रमेश थेटे ने चेक खरीदी द्वारा प्राप्त राशि बैंकों को वापस भी नहीं लौटाई।

इस प्रकार से श्री थेटे द्वारा षडयंत्रपूर्वक, जानबूझकर चेक खरीदी के नाम से उपरोक्त तीन मामलों में 13 लाख रूपये की राशि बैंक को धोखा देकर प्राप्त की गयी। धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भारतीय दण्ड विधान के तहत अपराध सिद्ध पाये जाने से चालान माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दिनांक 13.07.2007 को प्रस्तुत किया गया, जो एम.जे.सी.क्रमांक 19/2007 पर दर्ज है।

एम0जे0सी0 क्रमांक 20 / 2007

3— श्री थेटे ने दिनांक 09.10.2001 को श्रीमती थेटे के भारतीय स्टेट बैंक, वाशिम (महाराष्ट्र) के खाते से जारी 5 लाख रूपये का चेक शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेपियर टाउन, जबलपुर को प्रस्तुत कर, उसी दिन चेक खरीदी के माध्यम से 5 लाख रूपये प्राप्त किये।

दिनांक 16.10.2001 को श्री थेटे ने शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जवाहरगंज, जबलपुर के समक्ष श्रीमती थेटे के समता सहकारी बैंक, ओशीवारा, मुम्बई के खाते का एक चेक 2,50,000/-रूपये का प्रस्तुत कर उसकी खरीदी का अनुरोध किया। बैंक द्वारा 2,50,000/-रूपये श्री थेटे को प्रदान किये गये। इसी तरह दिनांक 16.10.2001 को ही श्रीमती मंदा थेटे ने भी पंजाब नेशनल बैंक का चेक प्रस्तुत कर चेक खरीदी करने का अनुरोध किया, जिस पर बैंक द्वारा 2.50 लाख रूपये श्रीमती मंदा थेटे को प्रदान किये गये।

उपरोक्त तीनों चेक संबंधित बैंकों को समाशोधन हेतु भेजे जाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से अनादरित (बाउंस) हुए।

इस प्रकार बैंक को धोखा देते हुये श्री थेटे व श्रीमती थेटे ने षडयंत्रपूर्वक जानबूझकर उक्त तीन मामलों में 10 लाख रूपये प्राप्त किये। धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 420,467,468,471 एवं 120बी भारतीय दण्ड विधान के आधीन अपराध सिद्ध होने से चालान, माननीय विशेष न्यायालय जबलपुर में दिनांक 13.07.2007 को प्रस्तुत किया गया, जो एम.जे.सी.क्रमांक 20/2007 पर दर्ज है।

(ब) केश क्रेडिट लिमिट के माध्यम से धोखाधड़ी

एम0जे0सी0 क्रमांक 21/2007

अपराध क्रमांक 68/2002 की विवेचना में यह पाया गया है कि श्री थेटे ने पत्नी श्रीमती मंदा थेटे एवं अन्य के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मुख्य शाखा-जबलपुर से जनवरी 2002 में 25 लाख रूपये की केश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की। केश क्रेडिट लिमिट के लिये श्रीमती मंदा थेटे ने "स्मार्ट ऑडियो कम्प्युनिकेशन" के नाम से एक आवेदन पत्र सहकारी बैंक जबलपुर में दिनांक 24.01.2002 को दिया था। ऋण की गारण्टर श्रीमती नूरजंहा बेगम के जबलपुर स्थित मकान के दस्तावेज बैंक में बंधक रखे गये थे और उस मकान का गलत मूल्यांकन कराकर 25,26,000/- रूपये की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी ऋण प्रकरण में श्री थेटे स्वयं भी को-गारण्टर थे। विवेचना में इस मकान का मूल्य 8,03,650/- रूपये पाया गया। श्रीमती थेटे ने दिनांक 30.01.2002 को

स्वीकृत ऋण में से अगले ही दिन दिनांक 31.01.2002 को 24,63,175/- रुपये आहरित कर लिये। अब तक ऋण वापस नहीं किया गया है। श्री थेटे एवं श्रीमती थेटे तथा अन्य का यह कृत्य धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आने से दिनांक 13.07.2007 को माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर में आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया है, जो एम.जे.सी. क्रमांक-21/2007 पर दर्ज है।

(स) पर्सनल लोन में की गयी धोखा धड़ी

अपराध क्रमांक 68/02 की विवेचना में यह पाया गया है कि श्री थेटे ने जून 2001 से दिसंबर 2001 अर्थात् केवल 6 माह के अंदर जबलपुर एवं भोपाल स्थित 10 बैंकों से 14,30,000/- रुपये का पर्सनल लोन लिया है। तत्समय श्री थेटे के वेतन से मासिक परिलब्धियां लगभग 14000/-रुपये थीं, जबकि लिये गये लोन की किश्तें 44,200/-रु0 प्रतिमाह थीं। श्री थेटे ने लिये गये लोन अथवा उसके अंश को वापस नहीं किया है।

एम0जे0सी0 क्रमांक 13/2007

1. विवेचना में पाया गया कि श्री थेटे ने दिनांक 21.6.01 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मढ़ाताल, जबलपुर से 1.50 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया। इसके पश्चात दिनांक 2.8.01 को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिविल लाईन, जबलपुर से 2.5 लाख रुपये, दिनांक 1.9.2001 को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा मालवीय चौक, जबलपुर से 1.50 लाख रु0 तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा केंट, जबलपुर से दिनांक 5.10.2001 को 1.00 लाख रु0 का पर्सनल लोन प्राप्त किया। श्री थेटे ने पर्सनल लोन के लिये बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों में पूर्व में लिये गये बैंक ऋणों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा बैंकों को धोखा देकर पैसा प्राप्त करने के लिये जानबूझकर झूठी उद्घोषणा हस्ताक्षरित की कि बैंकों से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया है। इस तरह श्री थेटे का यह कृत्य धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम-1988 एवं धारा 420, 467,468,471, भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर दिनांक 3.7.2007 को माननीय विशेष न्यायालय,जबलपुर में श्री थेटे के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, जो एम0जे0सी0 क्रमांक 13/07 पर दर्ज किया गया ।

एम0जे0सी0 क्रमांक 14/2007

2. विवेचना में पाया गया कि श्री थेटे ने दिनांक 18.10.01 को देना बैंक शाखा मढ़ाताल, जबलपुर से 1.00 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया। इसके पश्चात दिनांक 5.11.2001 को इण्डियन बैंक, शाखा करमचंद चौक जबलपुर से 50,000/-रुपये, तथा दिनांक 6.11.2001 को यूको बैंक,शाखा जवाहर गंज जबलपुर से 1.00 लाख रु0 का पर्सनल लोन प्राप्त किया। श्री थेटे ने पर्सनल लोन के लिये बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों में पूर्व में लिये गये बैंक ऋणों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा बैंकों को धोखा देकर पैसा प्राप्त करने के लिये जानबूझकर झूठी उद्घोषणा हस्ताक्षरित की कि बैंकों से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया है। इस तरह श्री थेटे का यह कृत्य धारा 13(1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं धारा 420,467,468,471, भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर दिनांक 3.7.2007 को माननीय विशेष न्यायालय,जबलपुर में श्री थेटे के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, जो एम0जे0सी0 क्रमांक 14/07 पर दर्ज किया गया ।

एम0जे0सी0 क्रमांक 15/2007

3. विवेचना में पाया गया कि श्री थेटे ने दिनांक 24.11.01 को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा तुलाराम चौक,,जबलपुर से 1.65 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया । श्री थेटे ने पर्सनल लोन के लिये बैंक में प्रस्तुत आवेदन में पूर्व में लिये गये बैंक ऋणों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा बैंक को धोखा देकर पैसा प्राप्त करने के लिये जानबूझकर झूठी उद्घोषणा हस्ताक्षरित की कि बैंकों से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया है । इस तरह श्री थेटे का यह कृत्य धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं धारा 420,467,468,471, भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर दिनांक 3.7.2007 को माननीय विशेष न्यायालय,जबलपुर में श्री थेटे

के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, जो एम0जे0सी0 क्रमांक 15/07 पर दर्ज किया गया ।

एम0जे0सी0 क्रमांक 6/2007

4. विवेचना में पाया गया कि श्री थेटे ने दिनांक 23.11.01 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा वल्लभ भवन, भोपाल से 2.00 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया । इसके पश्चात दिनांक 21.12.01 को भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुल्तानिया रोड,भोपाल से 1.65 लाख रुपये, का पर्सनल लोन प्राप्त किया। श्री थेटे ने पर्सनल लोन के लिये बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों में पूर्व में लिये गये बैंक ऋणों का कोई उल्लेख नहीं किया तथा बैंकों को धोखा देकर पैसा प्राप्त करने के लिये जानबूझकर झूठी उद्घोषणा हस्ताक्षरित की कि बैंकों से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया है। इस तरह श्री थेटे का यह कृत्य धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 एवं धारा 420,467,468,471, भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध पाये जाने पर दिनांक 19.7.2007 को माननीय विशेष न्यायालय,भोपाल में श्री थेटे के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया, जो विशेष प्रकरण क्रमांक 06/07 पर दर्ज किया गया ।

--- --- ---

श्री संजय शुक्ला, तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम इंदौर एवं अन्य के विरुद्ध।

इन्दौर नगर पालिका निगम के महापौर श्री मधुकर वर्मा एवं आयुक्त श्री संजय शुक्ला, भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा दिनांक 24.09.1999 के पत्र से नगरीय प्रशासन एवम् विकास संचालनालय, भोपाल से विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य कार्यो हेतु, 10 करोड़ रूपये के अनुदान की मांग की गई। मेयर इन कौंसिल, नगर पालिका निगम, इन्दौर को 10 लाख रूपये तक की स्वीकृति देने के वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। श्री बी.एस.द्विवेदी, कार्यपालन यंत्री ने मेयर इन कौंसिल की वित्तीय अधिकार सीमा 10 लाख रूपये को ध्यान में रखते हुये लगभग 10 लाख के 15 अनुमान पत्रक विद्युत प्रकाश सामग्री क्रय करने हेतु तैयार किये। श्री शुक्ला तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिका निगम, इन्दौर ने लगभग 10-10 लाख रूपये के 15 प्रस्ताव मेयर इन कौंसिल के समक्ष प्रस्तुतकर एक ही दिनांक 05.11.1999 को स्वीकृतियां प्राप्त की। एक करोड़ रूपये तक के वित्तीय अधिकार नगर निगम परिषद को थे। आयुक्त श्री शुक्ला के अनुरोध पर 98,78,257/-रूपये की विद्युत सामग्री क्रय करने का पृथक से एक प्रस्ताव नगर निगम परिषद में प्रस्तुत हुआ जिसे परिषद ने दिनांक 29.10.1999 को स्वीकृत किया। एक करोड़ रूपये से अधिक की खरीदी के वित्तीय स्वीकृति के अधिकार शासन में वेष्टित हैं। अतः टुकड़ो-टुकड़ो में तोड़कर अलग-अलग वित्तीय स्वीकृति ली गयी।

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम सन् 1961 के अंतर्गत बने मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर इन कौंसिल/प्रेसीडेन्ट-इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) में यह प्रावधान है कि खरीदी के लिये निविदायें बुलायी जाना जरूरी है। अतः श्री शुक्ला को निविदायें आमंत्रित करनी चाहिये थी, श्री शुक्ला ने ऐसा न करते हुये क्वाम्पटन ग्रीव्ज कम्पनी से विद्युत सामग्री क्रय करने के कुल 15 प्रस्ताव मेयर इन कौंसिल तथा एक प्रस्ताव निगम परिषद को प्रस्तुत किये थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में 15 प्रस्तावों में मेयर इन कौंसिल तथा एक प्रस्ताव में निगम परिषद ने मेसर्स क्वाम्पटन ग्रीव्ज कंपनी से सामग्री क्रय

करने के अनुमोदन दिये थे। इस प्रकार से लगभग दो करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रदाय आदेश क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी को जारी किये गये, किन्तु उक्त प्रदाय आदेश कंपनी को सीधे नहीं देते हुये श्री संदीप जैन नामक व्यक्ति को दिये गये जो संदीप ट्रेडिंग कंपनी, सुराना एण्ड कंपनी, मेसर्स चिनार कामर्स, अरिहंत ट्रेडर्स एवं रजत सेल्स कार्पोरेशन के प्रतिनिधि थे। उपरोक्त फर्मों को क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी की डीलरशिप प्राप्त नहीं थी, तो मेयर इन कौंसिल का अनुमोदन होने के बाद इन फर्मों ने क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी की अस्थाई डीलरशिप दिनांक 25.11.1999 से 31.3.2000 तक के लिये प्राप्त की। क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी ने विद्युत सामग्री पर 49 प्रतिशत डिस्काउण्ट श्री संदीप जैन व उससे संबंधित फर्मों को प्रदान किया। क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी द्वारा जानकारी दी गयी कि यदि नगर निगम द्वारा उनसे सीधे सामग्री क्रय की जाती तो निगम को भी डिस्काउण्ट पर माल सप्लाई किया जाता। श्री शुक्ला ने विद्युत सामग्री की खरीदी क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी से सीधे न करते हुये, मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी की, जिससे 96,13,935/-रुपये की हानि नगर पालिका निगम को उठानी पड़ी।

विवेचना से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मेयर इन कौंसिल द्वारा पारित संकल्पों एवं निगम परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसार दो करोड़ रुपये से ज्यादा की विद्युत सामग्री की खरीदी मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी से होनी चाहिये थी, क्राम्पटन ग्रीव्ज कंपनी से सीधे खरीदी नहीं की गई तथा उसे किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। श्री शुक्ला ने लगभग दो करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान श्री संदीप जैन से संबंधित उपरोक्त पाँचों फर्मों को किया। श्री शुक्ला एवं नगर पालिका निगम के अन्य अधिकारियों ने श्री संदीप जैन के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुये श्री संदीप जैन एवं उसकी कथित पाँच फर्मों को पद का दुरुपयोग करते हुये 96,13,935/-रुपये का अवैध लाभ पहुंचाया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ। धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 120बी भादवि के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने से श्री संजय शुक्ला, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिका निगम एवं अन्य के विरुद्ध चालान माननीय विशेष न्यायालय, इन्दौर के समक्ष दिनांक 28.07.2007 का प्रस्तुत किया गया, जो विशेष प्रकरण क्रमांक 4/07 पर दर्ज है।

महत्वपूर्ण सजायें

पूर्व मंत्री, म0प्र0 शासन को भ्रष्टाचार के मामले में माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल ने दण्डित किया।

अपराध क्रमांक 51/92- में आरोपी श्री विष्णु राजोरिया, तत्कालीन राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल द्वारा निर्णय दिनांक 25.03.08 से धारा-13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में दण्डित

अपराध क्रमांक 46/02 में आरोपी श्री रमेश थेटे, भा.प्र.से., संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, म0प्र0 जबलपुर को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 15.04.04 से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, में दो वर्ष का कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड तथा धारा-13(1)डी, 13(2) में दो वर्ष का कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। केन्द्र सरकार ने श्री रमेश थेटे, भा.प्र.से., को आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 द्वारा सेवा से पृथक किया है।

गांधी मेडिकल कॉलेज के एक विभागाध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में दण्डित

अपराध क्रमांक 19/98 में आरोपी डॉ0 पी0सी0 मनोरिया, विभागाध्यक्ष हृदय रोग विभाग, गांधी मेडिकल कालेज भोपाल. (2) डॉ0 प्रवीण पाल (अशासकीय) (3) श्री पवन जैन (अशासकीय) को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 14.09.07 से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)ई, 13(2) एवं

धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोपी क्रमांक -1. को पांच वर्ष का कारावास एवं 5 लाख रुपये अर्थदण्ड एवं आरोपी क्रमांक-2. को एक वर्ष का कारावास एवं 2,000/-रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी क्रमांक-3. को एक वर्ष का कारावास एवं 2,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । आरोपी की पेंशन रोकने के लिये पत्र दिनांक 17.09.07 को लिखा गया है ।

महत्वपूर्ण पंजीबद्ध प्रकरण

1. खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना के अधीन हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया । ऋण वितरण में अत्याधिक अनियमितता की गयी । शासन के अनुरोध पर लोकायुक्त संगठन में जांच प्रारंभ हुई । कुल 1238 ऋण प्रकरणों को जांच हेतु संगठन को सौंपा गया । विशेष पुलिस स्थापना में अभी तक जांचोपरांत 27 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें से एक प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान प्रस्तुत किया गया है व एक प्रकरण विवेचना उपरांत अभियोजन स्वीकृति के लिये भेजा गया था । अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, शीघ्र चालान प्रस्तुत किया जायेगा । कुल 1238 में से लगभग 300 प्रकरणों में ऋण की पूरी वसूली हो चुकी है । जांच पंजीबद्ध होने के उपरांत लगभग 3.00 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है ।

2. नगर पालिका निगम, ग्वालियर में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को अवैद्य लाभ पहुंचाने के लिये फर्जी प्रकरण तैयार कराये जा रहे थे। लोकायुक्त संगठन में शिकायत होने पर 1146 नस्तिया तलब की गयीं। फर्जी भुगतान जो करोड़ों रुपये का था, वह रुक गया । अभी एक प्रकरण में जांचोपरांत अपराध क्रमांक 31/07 श्री विवेक सिंह, तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिका निगम एवं अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया । शेष प्रकरण अभी जांचाधीन हैं ।

3. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भोपाल ने ऋण की वसूली नहीं होने से ऋणी कृषकों की कृषि भूमि अत्याधिक सस्ते दर पर नियम एवं प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए नीलाम कर दी । नीलामी के लगभग 150 प्रकरणों की जांच विशेष पुलिस स्थापना द्वारा की जा रही है ।

अनुशंसा टीप

(लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम-1981 की धारा 12(1) की अधिकारिता के अंतर्गत)

(प्रकरण क्र. जा.प्र. 28/07)

श्री के०के० मिश्रा, इंदौर से शपथ पत्र पर संगठन में प्राप्त शिकायत में आरोपित था कि अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर व अन्य के द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर की योजना क्रमांक- 54 के चिकित्सीय उपयोग के दो भूखण्ड क्रमशः 4110 एवं 4376 वर्गमीटर के श्री गुरुजी सेवा न्यास इन्दौर को निविदा शर्तों/नियमों/म०प्र० शासन के निर्देश दिनांक 13.11.06 के विरुद्ध आवंटित किये गये।

प्राप्त शिकायत में वर्णित आरोपों की जांच में मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्त कर संगठन स्तर पर की गयी। जांच के दौरान श्री प्रमोद गुप्ता, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, श्री छोटेलाल रक्या, सम्पदा अधिकारी तथा श्री अमृतलाल रघुवंशी लेखाधिकारी/प्रभारी सम्पदा अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के कथन भी लिपिबद्ध किये गये। जांच में पाया गया कि प्रश्नाधीन निविदा की शर्त क्र. 1 तथा शासन के निर्देश दिनांक 13.11.06 का पालन भूखंड आवंटन में नहीं किया गया। इस हेतु श्री मधु वर्मा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन भोपाल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर प्राप्त किये गये तथा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। प्राप्त उत्तरों के परीक्षणों उपरांत विधि सलाहकार द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, इस जांच प्रतिवेदन को अनुशंसा का अंश माना जावे।

शिकायत की जांच में यह पाया गया कि श्री गुरुजी सेवा न्यास को निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता (eligibility) नहीं थी। क्योंकि श्री गुरुजी सेवा न्यास ने निविदा विज्ञप्ति क्र. 67, दिनांक 23.3.07 में उल्लेखित शर्त क्र. 1 का पालन नहीं किया तथा म०प्र० शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक-एफ/ 1794/1456/06/32-1 दिनांक 13 नवम्बर 06 की कंडिका- 5.2, 5.3, के पालन में कोई भी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

अतः म०प्र० लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (1) के अंतर्गत इन्दौर विकास प्राधिकरण बोर्ड, इन्दौर एवं म०प्र० शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल को यह अनुशंसा की जाती है कि इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा

श्री गुरुजी सेवा न्यास इन्दौर को आवंटित योजना क्रमांक 54 के दो चिकित्सीय उपयोग के इंदौर स्थित भूखण्ड क्रमांक ए, 4110 वर्गमीटर एवं बी, 4376 वर्गमीटर का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करें।

(रिपुसूदन दयाल)

लोकायुक्त

06.05.08

माननीय द्वारा दिनांक 06.05.2008 को मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12(1) के अन्तर्गत की गई अनुशंसा के पालन में अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर ने पत्र दिनांक 14 जुलाई 2008 पृष्ठांकन क्रमांक 6309 के द्वारा सूचित किया कि श्री गुरुजी सेवा न्यास को आवंटित दोनों भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

विरुद्ध श्री जयंत मलैया, मंत्री, म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग।

संगठन में प्राप्त शिकायत में आरोप है कि म.प्र.शासन के आवास और पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री जयंत मलैया ने पद का दुरुपयोग कर, सचिव स्तर की कमेटी पर दवाब डालकर अपनी पत्नि श्रीमती डॉ० सुधा मलैया प्रधान संपादिका ओजस्वनी पत्रिका के कार्यालय हेतु खसरा नं. 959/1 रकबा 10 हजार वर्गफुट शासकीय भूमि अपने ही हस्ताक्षर से आरक्षित करके अनुचित लाभ पहुंचाया।

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा राजस्व विभाग से संगठन द्वारा शिकायत के संबंध में जानकारी चाही गई। उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग ने प्रेषित प्रतिवेदन द्वारा जानकारी प्रेषित की कि ओजस्वनी मासिक पत्रिका के कार्यालय हेतु दिनांक-25.2.99 को अरेरा हिल्स सेंट्रल स्कूल के समीप भूखण्ड क्रमांक-76 में से 5000 वर्गफीट भूमि के आरक्षण का आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया था। कलेक्टर एवं आयुक्त भोपाल संभाग के प्रतिवेदन पर कि प्रश्नाधीन भूमि की आवश्यकता शासकीय प्रयोजन के लिये अधिक है, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक-3.1.2002 को भूमि आवंटन का प्रस्ताव अमान्य कर दिया गया। इसी अनुक्रम में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक-20.02.03 को पत्रिका के पक्ष में दिनांक-25.02.99 को किया गया आरक्षण आदेश निरस्त कर दिया गया। पुनः विभाग द्वारा दिनांक-23.11.2005 को ओजस्वनी मासिक पत्रिका के कार्यालय के लिये खसरा क्रं. 959/1 में से 10,000 वर्गफुट भूमि का आरक्षण आदेश जारी किया गया, जो दो वर्ष के लिए वैध था, तथा आदेश में स्पष्ट लिखा था कि यदि दो वर्ष की अवधि में राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटित नहीं की जाती है तो यह आरक्षण आदेश स्वयमेव निरस्त समझा जायेगा। इस प्रकार वर्तमान में यह आरक्षण आदेश स्वयमेव निरस्त हो चुका है। ओजस्वनी पत्रिका के पक्ष में जारी आरक्षण आदेश के दौरान श्री जयंत मलैया इस विभाग में मंत्री नहीं थे, श्री मलैया ने कथित भूमि आरक्षण के संबंध में लिखित या मौखिक कोई निर्देश नहीं दिये हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में ओजस्वनी पत्रिका को कोई शासकीय भूमि आरक्षित नहीं की गई है एवं आधिपत्य नहीं दिया गया है।

इसी प्रकार अवर सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा जानकारी दी है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक-23.11.05 द्वारा ओजस्वनी पत्रिका के कार्यालय के लिये भूमि आरक्षित की गई थी। माननीय वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक-23.7.07 में ओजस्वनी पत्रिका के कार्यालय को भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण विचारार्थ रखा गया, लेकिन समिति द्वारा ओजस्वनी पत्रिका कार्यालय के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया एवं राजस्व विभाग द्वारा कोई शासकीय भूमि ओजस्वनी पत्रिका के कार्यालय हेतु आवंटित नहीं की गई है, इस प्रकार दोनों विभागों से प्राप्त जानकारी उपरांत शिकायतकर्ता को भी ओजस्वनी मासिक पत्रिका के पक्ष में शासकीय भूमि के आरक्षण/आवंटन संबंधी जानकारी देने बुलाया गया, किन्तु शिकायतकर्ता सूचना प्राप्ति के उपरांत भी संगठन में उपस्थित नहीं हुआ।

उपरोक्तानुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेख अनुसार ओजस्वनी पत्रिका को वर्तमान में कोई शासकीय भूमि आरक्षित एवं आवंटित नहीं है एवं शासकीय भूमि का आधिपत्य नहीं दिया गया है। अतः श्री जयंत मलैया मंत्री म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायत निराधार प्रकट होने से प्रकरण दिनांक-30.09.08 को संगठन स्तर से समाप्त किया गया।